Right to Information Act, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

विषय सूची

धारा	विषय	पृष्ठ क्र.
	उद्देशिका	1
	Chapter - I	
	Preliminary	
	अध्याय - 1	
	प्रारंभिक	
1.	Short title, extent and commencement	2
	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ	2
2.	Definitions	3
	परिभाषाएँ	5
	Chapter - II	
	Right to Information and Obligations of Public Authorities	
	अध्याय - 2	
	सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों के दायित्व	
3.	Right to information	7
	सूचना का अधिकार	7
4.	Obligations of public authorities	8
	लोक प्राधिकारियों के दायित्व	10
5.	Designation of Public Information Officers	12
	लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम/पदसंज्ञा	12
6.	Request for obtaining information	13
	सूचना प्राप्त करने के लिये अनुरोध	14
7.	Disposal of request	15
	अनुरोध का निपटारा	16
8.	Exemption from disclosure of information	18
	सूचना को प्रकट करने से विमुक्ति	19
9.	Grounds for rejection to access in certain cases	20
	कतिपय मामलों में पहुंच की नामंजूरी के लिये आधार	21
10.	Severability	21
	पृथकत्व योग्य	21

धारा	विषय	पृष्ठ क्र.
11.	Third party information	22
	तीसरे/पर पक्ष को सूचना	23
	Chapter - III	
	The Central Information Commission	
	अध्याय - 3	
	केन्द्रीय सूचना आयोग	
12.	Constitution of Central Information Commission	23
	केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन	24
13.	Term of office and conditions of service	25
	पदावधि और सेवा की शर्तें	27
14.	Removal of Chief Information Commissioner or Information Commissioner	28
	मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का हटाया जाना	29
	Chapter - IV	
	The State Information Commission	
	अध्याय - 4	
	राज्य सूचना आयोग	
15.	Constitution of State Information Commission	29
	राज्य सूचना आयोग का गठन	30
16.	Term of office and conditions of service	31
	पद का कार्यकाल (पदावधि) और सेवा की शर्तें	33
17.	Removal of State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner	34
	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना	35
	Chapter - V	
	Powers and Functions of the Information Commissions, Appeal and Penalties	
	अध्याय - 5	
	सूचना आयोगों की शक्तियां तथा कृत्य, अपील और शास्तियां	
18.	Powers and functions of Information Commissions	36
	सूचना आयोगों की शक्तियाँ तथा कृत्य	37
19.	Appeal	38
	अपील	40
20.	Penalties	43
	शास्तियाँ	43

धारा	
21.	Protection of action taken
	सद्भावपूर्वक किये गये कार्य का
22.	Act to have overriding eff
	अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव हो
23.	Bar of jurisdiction of Cou
	न्यायालयों की अधिकारिता का वर्ज
24.	Act not to apply to certain
	अधिनियम का कतिपय संगठनों स
25.	Monitoring and reporting
	प्रबोधन तथा प्रतिवेदन
26.	Appropriate Government t
	समुचित सरकार का कार्यक्रम बनान
27.	Power to make rules by ap
	समुचित सरकार द्वारा नियमों को ब
28.	Power to make rules by co
	सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों को ब
29.	Laying of rules
	नियमों का प्रस्तुत करना
30.	Power to remove difficult
	कठिनाइयों का निवारण करने की
31.	Repeal
	निरसन
	First Schedule
	प्रथम अनुसूची
	Second Schedule
	द्वितीय अनुसूची
	मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्र

Right to Information Act, 2005

(No. 22 of 2005)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005[1]

[क्रमांक 22 सन् 2005]

[15th June, 2005.]

An Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the Constitution of India has established democratic Republic;

AND WHEREAS democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold Governments and their instrumentalities accountable to the governed;

AND WHEREAS revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests including efficient operations of the Governments, optimum use of limited fiscal resources and the preservation of confidentiality of sensitive information;

AND WHEREAS it is necessary to harmonise these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic ideal;

NOW, THEREFORE, it is expedient to provide for furnishing certain information to citizens who desire to have it;

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के क्रियाकलाप में पारदर्शिता और जवाबदेही उन्नत करने के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन नागरिकों को सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन तथा सूचना के अधिकार की व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिये तथा उससे सम्बद्ध विषयों या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम;

जबकि भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया है;

और, जबकि लोकतंत्र की यह अपेक्षा है कि नागरिकों को सूचना की जानकारी कराई गई हो और सूचना की पारदर्शिता हो, यह लोकतंत्र के कृत्यों के लिये तथा भ्रष्टता समाविष्ट करने के लिये भी (and

1. केन्द्रीय अधिनियम क्र. 22/2005 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 15 जून, 2005 को प्राप्त हुई तथा भारत का राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड 1, पार्ट-II, अनुभाग 1, नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2005 में प्रकाशित हुआ।

also to contain corruption) और सरकारों और उसके माध्यमों को शासितों के प्रति जवाबदेह रखने के लिये यह प्राणवायु/मर्मस्थल है;

और जबकि वास्तविक व्यवहार में सूचना जानकारी के प्रकट किये जाने में सरकारों के कुशल/दक्ष संचालन, वित्तीय सीमित संसाधनों के अनुकूलन उपयोग और संवेदनशील जानकारी/सूचना की गोपनीयता के परिरक्षण को सम्मिलित करते हुए अन्य लोक हितों के साथ संघर्ष संभावित है;

और जबकि लोकतांत्रिक आदर्शों को परिरक्षण करने में इन संघर्षशील हितों में सामन्जस्य बैठाना आवश्यक है;

अब, इसलिये नागरिकों को कतिपय सूचना/जानकारी उपलब्ध कराने के लिये जो जानकारी/सूचना पाने के इच्छुक हैं, उपबंध करने के लिये यह समीचीन है;

भारत के गणतंत्र के छप्पनवें वर्ष (56 yrs.) में संसद द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो;

टिप्पणी

(1) उद्देशिका में लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हुए यह माना गया है कि संवेदनशील गोपनीयता बनाये रखने के लिये परिरक्षित सूचना/जानकारी को छोड़कर शेष सूचना/जानकारी से नागरिकों को जो सूचना जानकारी चाहते हैं, उन्हें अवगत कराना सरकारों तथा उनके माध्यमों का कर्त्तव्य होगा;

(2) पारदर्शिता तथा जवाबदेही नागरिकों के प्रति सरकारों तथा उनके माध्यमों द्वारा बनाये रखने में विकृति/भ्रष्टता भी दूर रह सकेगी तथा जन विश्वास एवं जनभागीदारी को यथार्थ में प्रोत्साहित किया जा सकेगा;

(3) नागरिकों से सम्बन्धित लोक हित के कार्यों में अनावश्यक विलम्ब तथा नौकरशाही का प्रमाद दूर रह सकेगा और शासन तथा उसके माध्यमों द्वारा जनता/नागरिकों के प्रति जवाबदेह होने का अहसास पुष्ट हो सकेगा;

(4) नागरिकों को भी कानून के दायरे में रहकर अनावश्यक रूप से शासन या उसके माध्यमों को अकारण परेशान करने से आत्मसंयम रखना होगा तथा व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर, राष्ट्रहित में स्वस्थ चिन्तन रखना होगा।

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called **the Right to Information Act, 2005.**

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) The provisions of sub-section (1) of Section 4, sub-sections (1) and (2) of Section 5, Sections 12, 13, 15, 16, 24, 27 and 28 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Act shall come into force on the one hundred and twentieth day of its enactment.

अध्याय - 1

प्रारंभिक

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.— (1) यह अधिनियम **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू-काश्मीर राज्य छोड़कर संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और (2), धाराएँ 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 तत्काल प्रवृत्त/प्रभावशील होंगी और इस अधिनियम के बाकी रहे उपबंध इसके अधिनियमित होने के 120 (एक सौ बीस) दिन पर प्रवृत्त होंगे।

टिप्

(1) इस अधिनियम क्र. 22/2005 के स
संवेदनशील जानकारी/सूचना की गोपनीयता परिरक्षि
लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानने में संभावित स
बिठाने के लिये यह अधिनियम लाया गया है;

(2) संवेदनशील सरकारी गोपनीयताओं (
प्रभावी किया गया था, इस 1923 के अधिनियम में 1
के उपबंधों को समग्र रूप से एकत्रित करके अधिनियमि

(3) मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अ
असाधारण दिनांक 31 जनवरी, 2003 [पृष्ठ 100-1

(4) सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 (क्र
1, दिनांक 7-1-2003 पृष्ठ 1-8 में प्रकाशित हुआ।

(5) केन्द्रीय अधिनियम— सूचना का अधि
कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम संसद के
क्र. 22/2005 के अधीन बनाये गये नियमों को इसके
जायेंगे;

— केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम क्र. 22
दूर करेगी जो इसके प्रभावशील होने के दो वर्ष बाद ऐस
आदेश यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जायेगा

(6) धारा 31 (अधिनियम क्र. 22/2005)
2003) निरस्त कर दिया गया है;

(7) सम्यक् जानकारी के लिये इन सभी क
2005) के साथ होना आवश्यक है।

2. Definitions.— In this Act,

(a) **"appropriate Goverr**
ity which is establishe
tially financed by func

(i) by the Central
tration, the Ce

(ii) by the State G

(b) **"Central Informatio**
tion Commission cons

(c) **"Central Public Info**
Information Officer d
a Central Assistant Pu
under sub-section (2)

(d) **"Chief Information C**
sioner" mean the Chi
tion Commissioner ap

टिप्पणी (धारा 1)

(1) इस अधिनियम क्र. 22/2005 के संदर्भ में यह बताना आवश्यक है कि इस अधिनियम की उद्देशिका में संवेदनशील जानकारी/सूचना की गोपनीयता परिरक्षित रखने और नागरिकों में लोक हितों को अक्षुण्ण रखने तथा लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानने में संभावित संघर्ष को वास्तविक व्यवहार की पद्धति पर दूर रखते हुए सामन्जस्य बिठाने के लिये यह अधिनियम लाया गया है;

(2) संवेदनशील सरकारी गोपनीयताओं (गुप्त बात) का अधिनियम क्र. 12/1923 (2 अप्रैल, 1923) को प्रभावी किया गया था, इस 1923 के अधिनियम में 1889 का कानून तथा संशोधित कानून 1904 तथा 1911 के एक्ट के उपबंधों को समग्र रूप से एकत्रित करके अधिनियमित किया गया था;

(3) मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 (अधिनियम क्र. 3/2003) मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 31 जनवरी, 2003 [पृष्ठ 100-100 (5)] में प्रकाशित हुआ;

(4) सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 (क्रमांक 5/2003) [भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खण्ड-1, दिनांक 7-1-2003 पृष्ठ 1-8 में प्रकाशित हुआ। ये केन्द्रीय अधिनियम क्र. 5/2003 है;

(5) केन्द्रीय अधिनियम— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22/2005) की धारा 29 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम संसद के प्रत्येक सदन में रखे जायेंगे। राज्य सरकारें द्वारा इस अधिनियम क्र. 22/2005 के अधीन बनाये गये नियमों को इसके अधिसूचित होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल में रखे जायेंगे;

— केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम क्र. 22/2005 के प्रयोग में आने वाली कठिनाई को धारा 30 के तहत दूर करेगी जो इसके प्रभावशील होने के दो वर्ष बाद ऐसा आदेश नहीं दिया जायेगा। इस धारा के तहत प्रत्येक दिया गया आदेश यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जायेगा;

(6) धारा 31 (अधिनियम क्र. 22/2005) के द्वारा सूचना की स्वतंत्रता सम्बन्धी अधिनियम, 2002 (क्र. 5/2003) निरस्त कर दिया गया है;

(7) सम्यक् जानकारी के लिये इन सभी कानूनों का पाठ— इस अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 22/2005) के साथ होना आवश्यक है।

2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) **"appropriate Government"** means in relation to a public authority which is established, constituted, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly—

(i) by the Central Government or the Union territory administration, the Central Government;

(ii) by the State Government, the State Government;

(b) **"Central Information Commission"** means the Central Information Commission constituted under sub-section (1) of Section 12;

(c) **"Central Public Information Officer"** means the Central Public Information Officer designated under sub-section (1) and includes a Central Assistant Public Information Officer designated as such under sub-section (2) of Section 5;

(d) **"Chief Information Commissioner"** and **"Information Commissioner"** mean the Chief Information Commissioner and Information Commissioner appointed under sub-section (3) of Section 12;

(e) **"competent authority"** means—

(i) the Speaker in the case of the House of the People or the Legislative Assembly of a State or a Union territory having such Assembly and the Chairman in the case of the Council of States or Legislative Council of a State;

(ii) the Chief Justice of India in the case of the Supreme Court;

(iii) the Chief Justice of the High Court in the case of a High Court;

(iv) the President or the Governor, as the case may be, in the case of other authorities established or constituted by or under the Constitution;

(v) the administrator appointed under Article 239 of the Constitution;

(f) **"information"** means any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force;

(g) **"prescribed"** means prescribed by rules made under this Act by the appropriate Government or the competent authority, as the case may be;

(h) **"public authority"** means any authority or body or institution of self-government established or constituted—

(a) by or under the Constitution;

(b) by any other law made by Parliament;

(c) by any other law made by State Legislature;

(d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any—

(i) body owned, controlled or substantially financed;

(ii) non-Government organisation substantially financed,

directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;

(i) **"record"** includes—

(a) any document, manuscript and file;

(b) any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document;

(c) any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether enlarged or not); and

(d) any other material produced by a computer or any other device;

(j) **"right to information**
under this Act which i
authority and includes

(i) inspection of w

(ii) taking notes, e
records;

(iii) taking certifie

(iv) obtaining info
tapes, video c
through printou
puter or in any

(k) **"State Information**
Commission constitut

(l) **"State Chief Informa**
tion Commissioner"
sioner and the State I
sub-section (3) of Sect

(m) **"State Public Inform**
mation Officer designa
Assistant Public Infor
section (2) of Section

(n) **"third party"** means
quest for information

धारा 2. परिभाषाएँ.— इस अधिनिय

(a) ''समुचित सरकार'' से अभि
है, स्वामित्व में है, नियंत्रित है
उपबंध किये गये हों—

(i) केन्द्रीय सरकार या

(ii) राज्य सरकार द्वारा

टिप्प

यदि केन्द्रीय सरकार या संघीय क्षेत्राधिकार प्र
किया गया है, या उसके द्वारा स्वामित्व के अधीन है या
(funds) द्वारा वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जाते हैं
सरकार'' की परिभाषा में ऐसी केन्द्रीय सरकार या राज्

(b) ''केन्द्रीय सूचना आयोग''
केन्द्रीय सूचना आयोग;

(c) ''केन्द्रीय लोक सूचना अ
केन्द्रीय लोक सूचना अधिक
पदाभिहित (designated)

(j) **"right to information"** means the right to information accessible under this Act which is held by or under the control of any public authority and includes the right to—

(i) inspection of work, documents, records;

(ii) taking notes, extracts or certified copies of documents or records;

(iii) taking certified samples of material;

(iv) obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device;

(k) **"State Information Commission"** means the State Information Commission constituted under sub-section (1) of Section 15;

(l) **"State Chief Information Commissioner"** and **"State Information Commissioner"** mean the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioner appointed under sub-section (3) of Section 15;

(m) **"State Public Information Officer"** means the State Public Information Officer designated under sub-section (1) and includes a State Assistant Public Information Officer designated as such under sub-section (2) of Section 5;

(n) **"third party"** means a person other than the citizen making a request for information and includes a public authority.

धारा 2. परिभाषाएँ.— इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(a) ''**समुचित सरकार**'' से अभिप्रेत लोक प्राधिकारी के संबंध में जो कि स्थापित है, गठित है, स्वामित्व में है, नियंत्रित है या सारतः निधियों द्वारा वित्तीय प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपबंध किये गये हों—

(i) केन्द्रीय सरकार या संघीय क्षेत्राधिकार प्रशासन द्वारा केन्द्रीय सरकार;

(ii) राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार;

टिप्पणी (धारा 2)

यदि केन्द्रीय सरकार या संघीय क्षेत्राधिकार प्रशासन द्वारा लोक प्राधिकारी के संबंध में यदि वह स्थापित है, गठित किया गया है, या उसके द्वारा स्वामित्व के अधीन है या नियंत्रण किया जाता है या सारतः प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रीति से निधियों (funds) द्वारा वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जाते हैं और ऐसा ही यदि राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तो ''समुचित सरकार'' की परिभाषा में ऐसी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार यथास्थिति समझी जायेगी।

(b) ''**केन्द्रीय सूचना आयोग**'' से अभिप्रेत है धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग;

(c) ''**केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी**'' से अभिप्रेत है, उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और उसमें धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित (designated) केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी सम्मिलित है;

(d) ''मुख्य सूचना आयुक्त (कमिश्नर)'' तथा ''सूचना आयुक्त'' से अभिप्रेत है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जो धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किये गये हैं;

(e) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है—

(i) लोक सभा के बारे में ''स्पीकर'' अथवा राज्य विधान सभा या संघीय क्षेत्राधिकार रखने वाली ऐसी असेम्बली (सभा) और राज्यों की परिषदों या राज्य की विधान परिषद् के बारे में चेअरमैन;

(ii) सुप्रीमकोर्ट के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधिपति;

(iii) हाईकोर्ट के बारे में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति;

(iv) संविधान के द्वारा स्थापित या उसके द्वारा या उसके अधीन गठित अन्य प्राधिकारियों के बारे में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल, जैसी स्थिति हो;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक;

(f) ''सूचना'' से अभिप्रेत है किसी भी प्ररूप में कोई सामग्री (material) जिसमें सम्मिलित हैं, अभिलेख (रिकाड्र्स), विलेख (दस्तावेजात), मेमोज (ज्ञापन), ई-मेल्स, सम्मतियां राय (ओपीनियन्स), सलाह-परामर्श (एडव्हाइस), प्रेस-प्रकाशनी (प्रेस रिलीजेज), विज्ञप्तियाँ (सरक्यूलर्स), आदेश, लॉग बुक्स, संविदाएँ (कान्ट्रैक्ट्स), प्रतिवेदन (रिपोर्ट्स), कागजात (पेपर्स), नमूने (सैम्पल्स), माडल्स, डाटा सामग्री जो किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित हो और किसी प्रायवेट निकाय (body) के संबंध में सूचना जिन पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी द्वारा पहुंच हो सकती है (अभिगम्य हैं) (which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force);

(g) ''विहित'' (Prescribed) से अभिप्रेत है समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी, जैसी स्थिति हो, के द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(h) ''लोक प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है स्वायत्त शासन का कोई प्राधिकारी, या निकाय या संस्था जो स्थापित की गई हो या गठित की गई हो—

(a) संविधान के द्वारा या अधीन;

(b) संसद द्वारा बनाये गये किसी अन्य विधि के द्वारा;

(c) राज्य विधान मंडल द्वारा बनाये गये किसी अन्य विधि के द्वारा;

(d) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या दिये गये आदेश और सम्मिलित हैं, कोई निकाय (body)—

(i) जो स्वामित्व के अधीन हो, नियंत्रण के अधीन हो या सारतः वित्तीय पोषण के अधीन हो;

(ii) ऐसे गैर सरकारी (अशासकीय) संगठन जिन्हें सारतः वित्तीय पोषण किया गया हो,

समुचित सरकार द्वारा दी गई निधियों (funds) द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस उपरोक्त निकाय या अशासकीय संगठन का वित्तीय पोषण किया गया;

(i) ''अभिलेख'' में सम्मिलित हैं-

(a) कोई दस्तावेज, पाण्डु

(b) कोई माइक्रोफिल्म (mi
विलेख की फैसीमाइल

(c) ऐसी माइक्रोफिल्म में
पुनः प्रस्तुतीकरण/पुनः

(d) कोई अन्य सामग्री जो
प्रस्तुत की गई;

(j) ''सूचना का अधिकार'' से अ
के अधीन पहुंच योग्य (अभिगम
नियंत्रण के अधीन या उसके द्वार

(i) किसी कार्य/कर्म/कृत्य
(रिकाड्र्स) का निरीक्ष

(ii) दस्तावेजों या अभिलेख
प्रमाणित प्रतिलिपियां

(iii) सामग्री के प्रमाणित न

(iv) जहां ऐसी सूचना का
(stored) की गई हो
या फ्लोपीज (floppi
settes) के रूप में य
प्रिन्ट आउट (print

(k) ''राज्य सूचना आयोग'' से
किया गया राज्य सूचना आयोग

(l) ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
15 की उपधारा (3) के अधीन
सूचना आयुक्त;

(m) ''राज्य लोक सूचना अधिका
पदाभिहित (designated) रा
के अधीन उसी प्रकार पदभिहित

(n) ''तीसरा पक्ष'' (Third Par
करने वाले व्यक्ति से भिन्न (ot
भी है।

CHAI

RIGHT TO INFORMATI
PUBLIC A

3. Right to information.— Su
zens shall have the right to information

(i) "**अभिलेख**" में सम्मिलित हैं—

(a) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि (मेन्यूस्क्रिप्ट) और फाइल (file);

(b) कोई माइक्रोफिल्म (microfilm), माइक्रोफिक (microfiche) और दस्तावेज/विलेख की फैसीमाइल कॉपी (facsimile copy);

(c) ऐसी माइक्रोफिल्म में प्रस्तुत की गई किसी चित्र/प्रतिमा/मूर्ति/बिम्ब का कोई पुनःप्रस्तुतीकरण/पुनःरचना;

(d) कोई अन्य सामग्री जो कम्प्यूटर द्वारा अथवा किसी अन्य उपाय/साधन द्वारा प्रस्तुत की गई;

धारा 2 (j) "**सूचना का अधिकार**" से अभिप्रेत है, ऐसी सूचना का अधिकार जो इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य (अभिगम्य) (accessible) है जो कि किसी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन या उसके द्वारा धारित है और इसमें ऐसा अधिकार सम्मिलित है :—

(i) किसी कार्य/कर्म/कृत्य/काम/क्रिया (work) का, दस्तावेजों का या अभिलेखों (रिकार्ड्स) का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स (Notes) लेना, सार संक्षेप लेना या उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां लेना;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) जहां ऐसी सूचना का कम्प्यूटर में या किसी अन्य उपाय/साधन द्वारा भण्डारण (stored) की गई हो वहां उसको (ऐसी सूचना को) डिस्केट्स (diskettes) या फ्लोपीज (floppies), टेप्स (Tapes), वीडियो कैसेट्स (video cassettes) के रूप में या किसी अन्य विद्युत तरीके (electronic mode) या प्रिन्ट आउट (print out) के माध्यम से प्राप्त करना;

(k) "**राज्य सूचना आयोग**" से अभिप्रेत है धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित किया गया राज्य सूचना आयोग;

(l) "**राज्य मुख्य सूचना आयुक्त**" तथा "**राज्य सूचना आयुक्त**" से अभिप्रेत है धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किये गये राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त;

(m) "**राज्य लोक सूचना अधिकारी**" से अभिप्रेत है धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित (designated) राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उसी प्रकार पदभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी;

(n) "**तीसरा पक्ष**" (Third Party) से अभिप्रेत है सूचना के लिये अनुरोध (request) करने वाले व्यक्ति से भिन्न (other than) कोई व्यक्ति, और इसमें कोई लोक अधिकारी भी है।

CHAPTER – II

RIGHT TO INFORMATION AND OBLIGATIONS OF PUBLIC AUTHORITIES

3. Right to information.— Subject to the provisions of this Act, all citizens shall have the right to information.

अध्याय - 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों के दायित्व (Obligations)

धारा 3. सूचना का अधिकार.— इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन (subject to) रहते हुए समस्त नागरिकगण सूचना का अधिकार रखेंगे।

टिप्पणी (धारा 3)

अर्थात् अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राप्त रहेगा। यदि अधिनियम के उपबंध किसी विनिर्दिष्ट सूचना को संवेदनशील एवं गोपनीय मानने का प्रावधान रखते हैं तो उस प्रतिबन्धित सूचना पाने का अनुरोधकर्त्ता नागरिक अधिकार नहीं रखेगा किन्तु जो सूचना पाने का अधिकार प्रतिबंधित (restricted) इस अधिनियम में नहीं किया गया है और वह नागरिकों की पहुंच के भीतर (अभिगम्य) है उस **''सूचना''** के अधीन परिभाषित सामग्री की जानकारी अनुरोधकर्त्ता को विधिवत उपलब्ध कराने में सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को मनमाने तौर पर हीला हवाला या उपेक्षा की प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिये जिससे कि लोक प्राधिकारी के कृत्यों में पारदर्शिता तथा नागरिकों के प्रति जवाबदेही की भावना/मानसिकता विकसित हो सके तथा स्वच्छ प्रशासन नागरिकों की सामान्य सुविधाओं के लिये प्राप्त रह सके तथा लोक हित के कार्यों में अमानक स्तर के रूप में घटिया निर्माण नहीं हो सके, लोक हित के कार्यों की सुनवाई समय पर सक्षम लोक प्राधिकारीगण कर सकें, समुचित राहत नागरिकों को समय की प्रतिबद्धता, कर्त्तव्य परायणता, एवं जनसेवक होने की सच्ची तत्परता के साथ उपलब्ध कराई जा सके, नागरिकों को अधिकार के दुरुपयोग से बचना चाहिये।

4. Obligations of public authorities.— (1) Every public authority shall,—

(a) maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated;

(b) publish within one hundred and twenty-days from the enactment of this Act,—

(i) the particulars of its organisation, functions and duties;

(ii) the powers and duties of its officers and employees;

(iii) the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;

(iv) the norms set by it for the discharge of its functions;

(v) the rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;

(vi) a statement of the categories of documents that are held by it or under its control;

(vii) the particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;

(viii) a statement of the boards, councils, committees and other

bodies consis
part or for the
ings of those b
are open to th
accessible for

(ix) a directory of

(x) the monthly r
and employee
provided in its

(xi) the budget all
particulars of
on disburseme

(xii) the manner of
the amounts al
programmes;

(xiii) particulars of r
sations grantec

(xiv) details in respe
it, reduced in a

(xv) the particulars
ing informatio
reading room,

(xvi) the names, des
Information O

(xvii) such other infc

and thereafter update these pu

(c) publish all relevant fa
announcing the decisi

(d) provide reasons for its
affected persons.

(2) It shall be a constant endea
accordance with the requirements of
much information *suo motu* to the publ
of communications, including interne
the use of this Act to obtain informati

(3) For the purposes of sub-sec
nated widely and in such form and ma

(4) All materials shall be diss
effectiveness, local language and the
that local area and the information sh

bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

(ix) a directory of its officers and employees;

(x) the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;

(xi) the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;

(xii) the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;

(xiii) particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it;

(xiv) details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;

(xv) the particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;

(xvi) the names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

(xvii) such other information as may be prescribed;

and thereafter update these publications every year;

(c) publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public;

(d) provide reasons for its administrative or quasi-judicial decisions to affected persons.

(2) It shall be a constant endeavour of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause (b) of sub-section (1) to provide as much information *suo motu* to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information.

(3) For the purposes of sub-section (1), every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public.

(4) All materials shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness, local language and the most effective method of communication in that local area and the information should be easily accessible, to the extent possi-

ble in electronic format with the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, available free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed.

Explanation.— For the purposes of sub-sections (3) and (4), "disseminated" means making known or communicated the information to the public through notice boards, newspapers, public announcements, media broadcasts, the internet or any other means, including inspection of offices of any public authority.

धारा 4. लोक प्राधिकारियों के दायित्व (obligations).— (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अनिवार्य (shall) होगा :—

(a) कि वे अपना समस्त अभिलेख (records) सम्यक् रूप से सूची/सारणी/तालिकाबद्ध अनुक्रमणिका अभिसूचक रीति तथा प्ररूप में बनाये रखें जिससे कि इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सरल/आसान/सुविधाजन्य/सुकर बनाया जाय और यह सुनिश्चित करें कि समस्त अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने में समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन कम्प्यूटरीकृत और समस्त देश में विभिन्न पद्धतियों से रेडियो/टेलीव्हिजन तंत्र/जाल (network) के माध्यम से जुड़ा हुआ (सम्बद्ध-connected) है जिससे कि ऐसे अभिलेख (रिकार्ड) तक पहुंच (access) सुकर/आसान/सरल/सुविधाजनक बनाई जा सके;

(b) इस अधिनियम के अधिनियमित होने के दिनांक से 120 एक सौ बीस दिनों के भीतर (प्रत्येक लोक प्राधिकारी) निम्नलिखित का प्रकाशन करेगा :—

(i) इसके संगठन (organisation), कृत्य (functions), तथा कर्त्तव्यों (duties) की विशिष्टताएँ (particulars);

(ii) इसके अधिकारीगण तथा कर्मचारी/कर्मकार/नियोजितों (employees) की शक्तियां और कर्त्तव्य;

(iii) विनिश्चय/निर्णय किये जाने के प्रक्रम (process) में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (procedure) और निगरानी/पर्यवेक्षण (supervision) तथा जवाबदेही का माध्यम/सरणी (channel) भी;

(iv) उसके कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा मानदण्ड/प्रतिमान निश्चित करना;

(v) उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गये नियमों, विनियमों, अनुदेशों (instructions), मेन्युअल्स, और अभिलेख (records);

(vi) उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण (a statement of the categories of documents);

(vii) उसकी नीति के सूत्रीकरण/प्रतिपादन (formulation) अथवा उसके कार्यान्वयन/परिपालन के संबंध में किसी प्रबंध/व्यवस्था की विशिष्टियां जो कि लोक सदस्यों द्वारा परामर्श किये जाने के लिये या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये मौजूद हैं/अस्तित्व में हैं;

(viii) उन बोर्डों (boards), परिषदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों जिनमें दो या

अधिक व्यक्ति
के लिये रखे गा
क्या उन बोर्डों,
लिये (सार्वजनि
पब्लिक के लि

(ix) इसके अधिकारि

(x) मासिक पारिश्रमि
कर्मचारियों द्वारा
मुआवजे/प्रतिक

(xi) उसकी प्रत्येक ए
(plans) की,
की रिपोर्ट्स की

(xii) अनुदान के (su
रकमों और ऐसे

(xiii) उसके द्वारा दी
किये गये प्राधि

(xiv) उसके द्वारा प्राप्त
में विवरण (det

(xv) नागरिकों को सू
और वाचनालय
(समय) यदि ले

(xvi) लोक सूचना अ

(xvii) ऐसी अन्य सूच

और उसके पश्चात् प्रतिवर्ष इन प्र

(c) लोक प्रभावित होने वाली
निर्णयों को घोषित करते
प्रकाशन;

(d) उसके प्रशासनिक या न्
निर्णयों के कारणों का ब

(2) उपधारा (1) के खण्ड (b) क
प्रयत्न होगा कि वह विभिन्न संचार साधनों के म
Motu) इतनी अधिक सूचनाएँ प्रदान करे कि
अधिनियम के उपयोग में सूचना प्राप्त करने

(3) उपधारा के प्रयोजन के लिये प्र
की आसानी से पहुंच में हो, प्रचारित की जा

(4) समस्त सामग्री यह ध्यान में र
क्षेत्र में संसूचना का अधिकतम प्रभावी तरी

अधिक व्यक्ति उनके गठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श के आशय के लिये रखे गये हैं, का विवरण (statement) और इस बात का विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों के सम्मिलन पब्लिक के लिये (सार्वजनिक रूप से) खुले हैं और क्या ऐसे सम्मिलनों के ब्यौरे/विवरण पब्लिक के लिये पहुंच योग्य/अभिगम्य (accessible) हैं?

(ix) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों/कर्मचारों/नियोजितों की निर्देशिका (डायरेक्टरी);

(x) मासिक पारिश्रमिक (remuneration) जो उसके प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है तथा उसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे/प्रतिकर की पद्धति (system) भी;

(xi) उसकी प्रत्येक एजेन्सी (अभिकरण) के लिये आवंटित बजट; समस्त योजनाओं (plans) की, प्रस्तावित खर्चों (व्ययों) की तथा किये गये भुगतानों/अदायगी की रिपोर्ट्स की विशिष्टियां (particulars);

(xii) अनुदान के (subsidy) प्रोग्रामों के प्रवर्त्तन की रीति (manner) और आवंटित रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों के विवरण (details);

(xiii) उसके द्वारा दी गई रियायतों/सुविधाओं, अनुज्ञा-पत्रों (permits) या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों की विशिष्टियां;

(xiv) उसके द्वारा प्राप्यनीय या उसके द्वारा धारित इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सूचना के बारे में विवरण (details);

(xv) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्राप्यनीय सुविधाओं की विशिष्टियां और वाचनालय (लायब्रेरी) या रीडिंग रूम (अध्ययन कक्ष) के कार्यकारी घंटे (समय) यदि लोक उपयोग के लिए बनाये रखा गया है, की भी विशिष्टियां;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदसंज्ञा/पदनाम तथा अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचनायें जो विहित की जायें,.

और उसके पश्चात् प्रतिवर्ष इन प्रकाशनों को (up-date) आदिनांकित रहना;

(c) लोक प्रभावित होने वाली महत्वपूर्ण नीतियों को सूत्रबद्ध करते समय या ऐसे विनिश्चयों/निर्णयों को घोषित करते समय जिनसे लोक प्रभावित होता है, समस्त सुसंगत तथ्यों का प्रकाशन;

(d) उसके प्रशासनिक या न्यायिक कल्प/अर्द्धन्यायिक (Quasi-judicial) विनिश्चयों/निर्णयों के कारणों का बताया जाना, व्यक्तियों को जिन्होंने प्रभावित किया है;

(2) उपधारा (1) के खण्ड (b) की अपेक्षाओं के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी का यह निरंतर प्रयत्न होगा कि वह विभिन्न संचार साधनों के माध्यम से नियमित अन्तरालों पर पब्लिक को स्वप्रेरणा पर (*Suo Motu*) इतनी अधिक सूचनाएँ प्रदान करे जिसमें internet "इंटरनेट" भी शामिल है जिससे पब्लिक इस अधिनियम के उपयोग में सूचना प्राप्त करने के लिये कम से कम (इन साधनों का) सहारा ले सकें।

(3) उपधारा के प्रयोजन के लिये प्रत्येक सूचना व्यापक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति से जो पब्लिक की आसानी से पहुंच में हो, प्रचारित की जायेगी/फैलाई जायेगी।

(4) समस्त सामग्री यह ध्यान में रखते हुए कि मूल्य प्रभावीकरण, स्थानीय भाषा और उस स्थानीय क्षेत्र में संसूचना का अधिकतम प्रभावी तरीका तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना

अधिकारी यथास्थिति के साथ निःशुल्क (free) या ऐसे मूल्य पर जो मीडियम या प्रिन्ट कॉस्ट प्राइस (print cost price) जैसी विहित की जाय, संभव विस्तार में इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट (Electronic format) में जो आसानी से पहुंच योग्य होना चाहिये, प्रचारित की जायेगी।

स्पष्टीकरण.— उपधारा (3) और (4) के प्रयोजन के लिए (disseminated) से तात्पर्य है, पब्लिक को नोटिस बोर्डों (सूचना पटल), समाचार पत्रों, लोक घोषणाओं, मीडिया के प्रसारणों, इन्टरनेट, या कोई अन्य साधनों जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण भी सम्मिलित है, के माध्यम से सूचना की जानकारी देना अथवा संसूचित करना।

5. Designation of Public Information Officers.— (1) Every public authority shall, within one hundred days of the enactment of this Act, designate as many officers as the Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), every public authority shall designate an officer, within one hundred days of the enactment of this Act, at each sub-divisional level or other sub-district level as a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, to receive the applications for information or appeals under this Act for forwarding the same forthwith to the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or senior officer specified under sub-section (1) of Section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be :

Provided that where an application for information or appeal is given to a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, a period of five days shall be added in computing the period for response specified under sub-section (1) of Section 7.

(3) Every Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the persons seeking such information.

(4) The Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may seek the assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties.

(5) Any officer, whose assistance has been sought under sub-section (4), shall render all assistance to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, seeking his or her assistance and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated as a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be.

धारा 5. लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम/पदसंज्ञा (designation).— (1) इस अधिनियम के अधिनियमित होने (के दिनांक) से एक सौ दिनों (100 days) के भीतर प्रत्येक लोक प्राधिकारी को इतने बहुत अधिकारियों को पदाभिहित करना होगा जितने कि यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों

या राज्य लोक सूचना अधिकारियों की समस्त प्रशा
के अधीन अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों को प्रतिकू
के अधिनियमित होने (के दिनांक) से एक सौ दिनों
अनुविभागीय स्तर पर (at each sub-division
लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य सहायक
कि वे यथास्थिति धारा 19 की उपधारा (1) में
आवेदनों या अपीलों को प्राप्त करके शीघ्र (तत्काल
अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी को अथवा केन्द्रीय

परन्तु यह कि जब सूचना के लिये आवेद
यथास्थिति राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी
विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व के लिये अवधि की गणना

(3) प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और
उपलब्ध कराएगा।

(4) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या
अधिकारी की सहायता चाह सकेगा जैसा कि वह (ह
निर्वहन के लिये आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी जिसकी सहायता उप
(his or her) सहायता चाही जा रही है समस्त सहा
अधिकारी को उपलब्ध कराएगा और इस अधिनियम
अधिकारी के साथ यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना
बर्त्ताव/व्यवहार किया जायेगा।

अन्य अधिकारी जिसकी सहायता धारा 5 की
गई है वह सहायता करने को बाध्य है अन्यथा उल्लंघन

6. Request for obtaining inf
obtain any information under this Act,
electronic means in English or Hindi
which the application is being made, ac
to—

(a) the Central Public Info
Officer, as the case ma

(b) the Central Assistant P
Public Information Off

specifying the particulars of the inform

Provided that where such requ
Public Information Officer or State Pub
shall render all reasonable assistance

या राज्य लोक सूचना अधिकारियों की समस्त प्रशासनिक इकाइयों (units) या कार्यालयों में इस अधिनियम के अधीन अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिये आवश्यक हो सकते हों।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (हानि पहुंचाये बिना) इस अधिनियम के अधिनियमित होने (के दिनांक) से एक सौ दिनों (100 days) के भीतर प्रत्येक लोक प्राधिकारी, प्रत्येक अनुविभागीय स्तर पर (at each sub-divisional level) या अन्य उप जिला स्तर पर केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगा जिससे कि वे यथास्थिति धारा 19 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिये आवेदनों या अपीलों को प्राप्त करके शीघ्र (तत्काल) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी को अथवा केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को अग्रेषित करें :

परन्तु यह कि जब सूचना के लिये आवेदन या अपील केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिये गये हों तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व के लिये अवधि की गणना करने में पांच दिनों की अवधि और जोड़ी जायेगी।

(3) प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथास्थिति सूचना चाहने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसे सूचना चाहने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता उपलब्ध कराएगा।

(4) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी अन्य अधिकारी की सहायता चाह सकेगा जैसा कि वह (he or she) अपने (of his or her) कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी जिसकी सहायता उपधारा (4) के अधीन चाही गई है, वह यथास्थिति जिसकी (his or her) सहायता चाही जा रही है समस्त सहायता केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराएगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिये उस ऐसे अन्य अधिकारी के साथ यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में बर्त्ताव/व्यवहार किया जायेगा।

टिप्पणी

अन्य अधिकारी जिसकी सहायता धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन सक्षम लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा चाही गई है वह सहायता करने को बाध्य है अन्यथा उल्लंघन के लिये जिम्मेवार होगा।

6. Request for obtaining information.— (1) A person, who desires to obtain any information under this Act, shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the Official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed, to—

(a) the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of the concerned public authority;

(b) the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be,

specifying the particulars of the information sought by him or her :

Provided that where such request cannot be made in writing, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to

reduce the same in writing.

(2) An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him.

(3) Where an application is made to a public authority requesting for an information,—

(i) which is held by another public authority; or

(ii) the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority,

the public authority, to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer :

Provided that the transfer of an application pursuant to this sub-section shall be made as soon as practicable but in no case later than five days from the date of receipt of the application.

धारा 6. सूचना प्राप्त करने के लिये अनुरोध (Request).— (1) वह व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करने की इच्छा रखता है, लिखित में अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा अंग्रेजी या हिन्दी या सरकारी भाषा उस क्षेत्र की जिस क्षेत्र में आवेदन दिया जा रहा है, उस फीस सहित जो इसके लिये विहित की जाय अपना अनुरोध—

(a) यथास्थिति, सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी को;

(b) केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को जैसी स्थिति हो;

उसके (him or her) द्वारा चाही गई सूचना की विशिष्टियां (particulars) को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि जहां ऐसा अनुरोध लिखित में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता वहां यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को मौखिक अनुरोध करने के लिये और उसे लेखबद्ध करने समस्त युक्तियुक्त सहायता उपलब्ध करायेगा।

(2) सूचना के लिये अनुरोध करने वाले व्यक्ति से सूचना के लिये अनुरोध करने के कारण बताये जाने की या कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। सिवाय इसके कि उससे सम्पर्क साधने के लिये जो (विवरण) आवश्यक हो।

(3) जहां लोक प्राधिकारी को सूचना के लिये अनुरोध करते हुए आवेदन दिया जाता है, (वह सूचना)—

(i) जो कि एक अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या

(ii) (उस सूचना की) विषय-वस्तु एक अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों (functions) के साथ अधिक निकट से (closely) सम्बद्ध (जुड़ी हुई) है,

लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन दिया जाता है, उस आवेदन को या उस आवेदन से संबंधित ऐसे किसी भाग को जो अन्य लोक प्राधिकारी को उपयुक्त हो सकता है, स्थानान्तरित करेगा तथा तत्काल ऐसे आवेदन

के स्थानान्तरित किये जाने के बारे में आवेदक

परन्तु यह कि इस उपधारा के अनुसर
किन्तु किसी भी स्थिति में आवेदन की प्राप्ति

सूचना के आवेदन को शीघ्र निपटारा किये
उस आवेदन में लिखित सूचना के किसी भाग से किसी
से सूचना देने में सक्षम समझा जाता है तो आवेदन
आवेदन अधिकतम उसकी प्राप्ति से पाँच दिनों के भीत
में इत्तिला (inform) करेगा।

7. Disposal of request.— (
Section 5 or the proviso to sub-sectio
tion Officer or State Public Informat
request under Section 6 shall, as exp
thirty days of the receipt of the reque
of such fee as may be prescribed or
fied in Sections 8 and 9 :

Provided that where the info
of a person, the same shall be provide
request.

(2) If the Central Public Inf
Officer, as the case may be, fails to
within the period specified under su
Officer or State Public Information
have refused the request.

(3) Where a decision is taken
further fee representing the cost of
Information Officer or State Public
send an intimation to the person ma

(a) the details of furthe
information as deter
made to arrive at the
der sub-section (1),
riod intervening bet
payment of fees shal
period of thirty days

(b) information concer
decision as to the
provided, including
limit, process and a

(4) Where access to the rec
under this Act and the person to w

के स्थानान्तरित किये जाने के बारे में आवेदक को इत्तिला करेगा/इन्फार्म करेगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में आवेदन को यथासाध्य शीघ्र स्थानान्तरित किया जायेगा किन्तु किसी भी स्थिति में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पाँच दिनों से अधिक विलम्ब नहीं होगा।

टिप्पणी

सूचना के आवेदन को शीघ्र निपटारा किये जाने की दृष्टि से पहले यह देखा जायेगा कि चाही गई सूचना या उस आवेदन में लिखित सूचना के किसी भाग से किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी का निकट संबंध है, वह उपयुक्त रीति से सूचना देने में सक्षम समझा जाता है तो आवेदन ग्रहण करने वाला लोक सूचना प्राधिकारी अन्य लोक प्राधिकारी को आवेदन अधिकतम उसकी प्राप्ति से पाँच दिनों के भीतर स्थानान्तरित करके तत्काल आवेदन को स्थानान्तरित करने के बारे में इत्तिला (inform) करेगा।

7. Disposal of request.— (1) Subject to the proviso to sub-section (2) of Section 5 or the proviso to sub-section (3) of Section 6, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, on receipt of a request under Section 6 shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in Sections 8 and 9 :

Provided that where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within forty-eight hours of the receipt of the request.

(2) If the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, fails to give decision on the request for information within the period specified under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall be deemed to have refused the request.

(3) Where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making the request, giving—

(a) the details of further fees representing the cost of providing the information as determined by him, together with the calculations made to arrive at the amount in accordance with fee prescribed under sub-section (1), requesting him to deposit that fees, and the period intervening between the despatch of the said intimation and payment of fees shall be excluded for the purpose of calculating the period of thirty days referred to in that sub-section;

(b) information concerning his or her right with respect to review the decision as to the amount of fees charged or the form of access provided, including the particulars of the appellate authority, time limit, process and any other forms.

(4) Where access to the record or a part thereof is required to be provided under this Act and the person to whom access is to be provided is sensorily disa-

bled, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall provide assistance to enable access to the information, including providing such assistance as may be appropriate for the inspection.

(5) Where access to information is to be provided in the printed or in any electronic format, the applicant shall, subject to the provisions of sub-section (6), pay such fee as may be prescribed :

Provided that the fee prescribed under sub-section (1) of Section 6 and sub-sections (1) and (5) of Section 7 shall be reasonable and no such fee shall be charged from the persons who are of below poverty line as may be determined by the appropriate Government.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the person making request for the information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limits specified in sub-section (1).

(7) Before taking any decision under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall take into consideration the representation made by a third party under Section 11.

(8) Where a request has been rejected under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall communicate to the person making the request,—

(i) the reasons for such rejection;

(ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and

(iii) the particulars of the appellate authority.

(9) An information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question.

धारा 7. अनुरोध का निपटारा (Disposal of request).— (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक अथवा धारा 6 की उपधारा (3) के परन्तुक के अध्यधीन, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथास्थिति धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर (within thirty days of the receipt of the request) या तो उस फीस के जो विहित की जाय, के भुगतान पर सूचना प्रदान करेगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को नामंजूर (reject) कर देगा :

परन्तु यह कि जहां चाही गई सूचना व्यक्ति के जीवन (life) या स्वतंत्रता (liberty) से संबंध रखती है तो उस सूचना को अनुरोध की प्राप्ति से (48 घंटे) अड़तालिस घंटे के भीतर प्रदान किया जाना (shall) अनिवार्य होगा।

(2) यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथास्थिति उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय (decision) करने में असफल रहता है तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति के बारे में यह समझा जायेगा कि अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया है।

(3) जहां विनिश्चय सूचना देने की co
भुगतान पर सूचना प्रदान करने का किया जाता है
अधिकारी, यथास्थिति अनुरोध करने वाले व्यक्ति को

(a) सूचना देने के लिये उसके द्वारा
के विवरण देते हुए विवरण में
अवधारित करने में गणना/आक
किया जायेगा और उपधारा में
करने के प्रयोजन से ऐसी इ
कालावधि के दौरान कालक्षेप
दिया जायेगा (अर्थात् निर्दिष्ट

(b) अधिकारी (his or her) के प्र
पहुंच के प्ररूप (form) के ब
समय सीमा या किसी अन्य प्र

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन अ
अपेक्षित है और वह व्यक्ति जिसे पहुंच प्रदान
(disabled) है वहां केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
की पहुंच में समर्थ बनाने में सहायता प्रदान करेगा
प्रदान की जायेगी।

(5) जहां सूचना की पहुंच छपे हुए (मु
उपलब्ध कराई जाना है वहां आवेदक उपधारा (6)
भुगतान करेगा :

परन्तु यह कि धारा 6 की उपधारा (1)
फीस युक्तियुक्त (reasonable) होगी और ऐसी
कि समुचित सरकार द्वारा अवधारित की जाय, प्रभा

(6) उपधारा (5) में अन्तर्विष्ट किसी ब
व्यक्ति को वहां सूचना निःशुल्क (free of charg
में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर परिपालन करने

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्च
लोक सूचना अधिकारी यथास्थिति धारा 11 (ग्यारह
गये अभ्यावेदन (representation) पर विचार क

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुरो
लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिक
करेगा :—

(i) ऐसी नामंजूरी के कारणों को;

(ii) उस समयावधि को जिसके भीत

(iii) अपीली प्राधिकारी की विशिष्टि

(9) सूचना सामान्यतः उस रूप में प्रदान
लोक अधिकारी के संसाधनों को अनुपातहीन (disp

(3) जहां विनिश्चय सूचना देने की cost लागत (खर्चे) के बारे में अतिरिक्त किसी फीस के भुगतान पर सूचना प्रदान करने का किया जाता है वहां केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति अनुरोध करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित इत्तिला देते हुए (intimation) भेजेगा:—

(a) सूचना देने के लिये उसके द्वारा अवधारित लागत खर्चे (cost) के बारे में अतिरिक्त फीस के विवरण देते हुए विवरण में उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम अवधारित करने में गणना/आकलन का ब्यौरा और उस फीस को जमा करने का अनुरोध किया जायेगा और उपधारा में निर्दिष्ट की गई तीस 30 दिनों की कालावधि की गणना करने के प्रयोजन से ऐसी इत्तिला भेजी जाने और फीस के भुगतान किये जाने की कालावधि के दौरान कालक्षेप (intervening between) की अवधि को अलग कर दिया जायेगा (अर्थात् निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि में नहीं गिना जायेगा)।

(b) अधिकारी (his or her) के प्रभारित फीस (charged fee) की रकम के बारे में या पहुंच के प्ररूप (form) के बारे में पुनर्विलोकन के अधिकार तथा अपीली प्राधिकारी, समय सीमा या किसी अन्य प्ररूप के बारे में सूचना दी जायेगी।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके भाग के बारे में पहुंच उपलब्ध कराना अपेक्षित है और वह व्यक्ति जिसे पहुंच प्रदान की जाना है, संवेदी रूप से (sensorily) निःशक्त (disabled) है वहां केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति उस सूचना की पहुंच में समर्थ बनाने में सहायता प्रदान करेगा तथा ऐसी सहायता भी जो निरीक्षण के लिये उपयुक्त हो, प्रदान की जायेगी।

(5) जहां सूचना की पहुंच छपे हुए (मुद्रित) या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान (format) में उपलब्ध कराई जाना है वहां आवेदक उपधारा (6) के उपबन्धों के अध्यधीन, ऐसी फीस जो विहित की जाय, भुगतान करेगा :

परन्तु यह कि धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त (reasonable) होगी और ऐसी फीस ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जैसी कि समुचित सरकार द्वारा अवधारित की जाय, प्रभारित नहीं की जायेगी (नहीं ली जायेगी)।

(6) उपधारा (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सूचना के लिये अनुरोध करने वाले व्यक्ति को वहां सूचना निःशुल्क (free of charge) प्रदान की जायेगी जहां लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर परिपालन करने में असफल रहा है।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने के पहले केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथास्थिति धारा 11 (ग्यारह) के अधीन अन्य तीसरे (third party) पक्ष द्वारा दिये गये अभ्यावेदन (representation) पर विचार करेगा।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुरोध नामंजूर (rejected) कर दिया गया है, वहां केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति अनुरोध करने वाले व्यक्ति को संसूचित करेगा :—

(i) ऐसी नामंजूरी के कारणों को;

(ii) उस समयावधि को जिसके भीतर ऐसी नामंजूरी के विरुद्ध अपील पेश की जाना है;

(iii) अपीली प्राधिकारी की विशिष्टियाँ।

(9) सूचना सामान्यतः उस रूप में प्रदान की जायेगी जिस रूप में चाही गई है जब तक कि वह लोक अधिकारी के संसाधनों को अनुपातहीन (disproportionately) रूप में व्यपवर्त्तन (divert) न करे

या जब तक प्रश्नाधीन अभिलेख (रिकार्ड) सुरक्षा के लिये या परिरक्षित रखने के लिये हानिकर न हो।

टिप्पणी

(1) इस धारा में अनुरोध के निपटारे की स्थितियों के उपबंध किये गये है;

(2) अनुरोध की मंजूरी— नामंजूरी की दशाओं में कार्यवाही करने की लोक सूचना प्राधिकारी/अधिकारी की कर्त्तव्यनिष्ठा पर बल दिया है;

(3) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुरोध करने वाले व्यक्ति को फीस की विमुक्ति (free of charge) की गई है;

(4) यदि अधिकारी सूचना समयावधि में देने में असफल रहा है तब भी फीस मे रियायत दी गई है;

(5) नामंजूरी के कारण (reasons) बताने तथा अपीली प्राधिकारी के बारे में विशिष्टियां (particulars) में उसके पदनाम, स्थान, पता आदि अन्य सूचनायें, अपील की समयावधि आदि के ब्यौरे भी अनुरोध चाहने वाले व्यक्ति को सक्षम संबंधित लोक सूचना अधिकारी देगा।

8. Exemption from disclosure of information.— (1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen,—

(a) information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence;

(b) information which has been expressly forbidden to be published by any Court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of Court;

(c) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;

(d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information;

(e) information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information;

(f) information received in confidence from foreign Government;

(g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;

(h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

(i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers :

Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof,

and the material on th
shall be made public af
ter is complete, or over

Provided further that those matt
fied in this section shal

(j) information which rela
which has no relationsh
would cause unwarrant
unless the Central Pub
Information Officer or
is satisfied that the larg
such information :

Provided that the information
a State Legislature sha

(2) Notwithstanding anything i
nor any of the exemptions permissible
authority may allow access to informat
the harm to the protected interests.

(3) Subject to the provisions
any information relating to any occurr
occurred or happened twenty years be
under Section 6 shall be provided t
section :

Provided that where any quest
period of twenty years has to be compu
shall be final, subject to the usual app

धारा 8. सूचना को प्रकट करने से
अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरि

(a) ऐसी सूचना और प्रकटीकरण
राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वै
सम्बन्धों या अपराध के उद्दीपन

(b) ऐसी सूचना जिसको प्रकाशित
अधिकरण (Tribunal) द्वारा
की अवमानना स्थापित हो स

(c) ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकर
(breach) होने का कारण ब

(d) सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश
है, का प्रकटीकरण तीसरे/प
हानिकर होगा, जब तक कि
विशाल लोक हित का तकाज

and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over :

Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed;

(j) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information :

Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.

(2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.

(3) Subject to the provisions of clauses (a), (c) and (i) of sub-section (1), any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under Section 6 shall be provided to any person making a request under that section :

Provided that where any question arises as to the date from which the said period of twenty years has to be computed, the decision of the Central Government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this Act.

धारा 8. सूचना को प्रकट करने से विमुक्ति (Exemption).— (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरिक के प्रति कोई दायित्व (obligation) नहीं होगा :—

(a) ऐसी सूचना और प्रकटीकरण (disclosure) जिससे भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक, अथवा आर्थिक हितों पर, विदेशी राज्य के साथ सम्बन्धों या अपराध के उद्दीपन की ओर बढ़ने के बारे में हानिकर/प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(b) ऐसी सूचना जिसको प्रकाशित की जाने के लिये स्पष्टतः किसी विधि न्यायालय द्वारा या अधिकरण (Tribunal) द्वारा निषिद्ध किया गया है अथवा जिसका प्रकटीकरण न्यायालय की अवमानना स्थापित हो सकती है;

(c) ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण संसद या राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकारों को भंग (breach) होने का कारण बनेगा;

(d) सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार की गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित है, का प्रकटीकरण तीसरे/पर/अन्य पक्ष (third party) की प्रतियोगी स्थिति पर हानिकर होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो जाता है कि विशाल लोक हित का तकाजा/अपेक्षा है कि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण किया जाए;

(e) सूचना व्यक्ति को उसके वैश्वासिक/न्यासी सम्बन्ध में प्राप्यनीय है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि विशाल लोक हित देखते हुए ऐसी जानकारी का प्रकटन आवश्यक है;

(f) विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त की गई सूचना;

(g) सूचना जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को, खतरा पहुंचेगा, या सूचना के स्रोत (the source) की पहचान से या विधि के प्रवर्त्तन/प्रवृत्त किये जाने अथवा सुरक्षा के प्रयोजनों के लिये खतरा पहुंचेगा;

(h) सूचना, जो कि अपराधियों के अनुसंधान/जांच या आशंका या अभियोजन के प्रक्रम (process) में बाधक बनेगी/अवरोधक होगी/अड़चन डालेगी;

(i) मंत्रीमंडनीय कागजात जिसमें मंत्री-परिषद्, सचिवों, अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख (records) सम्मिलित हैं :

परन्तु यह कि मंत्री परिषद के विनिश्चय, उस विनिश्चय के कारणों और वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गए, विनिश्चय किये जाने के पश्चात् तथा मामला पूर्ण हो जाने या निपट जाने के पश्चात् सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य होगा (shall be made public after the decision has been taken and the matter is completed, or) :

परन्तु यह भी कि वह मामले जो इस धारा में विनिर्दिष्ट अपवादों/विमुक्तियों (exemptions) के अधीन आते हैं उन्हें प्रकट नहीं किया जायेगा;

(j) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्ध रखती है और उसके प्रकटीकरण से किसी लोक गतिविधि अथवा लोक हित का कोई सम्बन्ध नहीं है अथवा जो व्यक्तिगत गोपनीयता/एकान्तता (privacy) पर अनपेक्षित/अवैध आक्रमण (unwarranted invasion) का कारण बनेगी जब तक कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी प्राधिकारी, यथास्थिति इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं या उनका समाधान नहीं हो जाता है कि विशाल लोक हित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण न्यायोचित है :

परन्तु यह कि सूचना जिससे संसद या राज्य विधान मंडल को इनकार नहीं किया जा सकता, उस सूचना से किसी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जायेगा।

(2) सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 (19/1923) में किसी बात के होते हुए और ना ही उपधारा (1) के अनुसार किन्हीं अनुज्ञेय अपवादों (विमुक्तियों) के होते हुए भी लोक प्राधिकारी सूचना की पहुंच अनुज्ञात कर सकेगा यदि लोकहित (सूचना के) प्रकटीकरण में सुरक्षित हितों की हानि से अधिक भारी पड़ता है।

(3) उपधारा (1) के खंड़ों (a), (c) तथा (i) के उपबन्धों के अध्यधीन कोई सूचना किसी घटित घटना या विषय से सम्बन्धित जो धारा 6 के अधीन अनुरोध किये जाने के दिनांक के बीस वर्ष पूर्व, स्थल पर अस्तित्व में आई हो, घटित हुई हो, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को प्रदान की जायेगी:

परन्तु यह कि जहां कोई प्रश्न इस बारे में उत्पन्न होता है कि उक्त कालावधि बीस वर्षों की गणना किस तारीख से की जाना है, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय इस अधिनियम में उपबन्धित सामान्य अपीलों के अध्यधीन अंतिम होगा।

9. Grounds for rejection to access in certain cases.— Without prejudice

to the provisions of Section 8, a Centra
lic Information Officer, as the case ma
where such a request for providing acc
right subsisting in a person other than

धारा 9. कतिपय मामलों में पहुंच (ac
धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
सूचना अधिकारी उस दशा में सूचना के लिये अनुरो
ऐसा अनुरोध राज्य को छोड़कर अन्य व्यक्ति में व
अंतर्ग्रस्त होगा।

10. Severability.— (1) Where
jected on the ground that it is in rela
disclosure, then, notwithstanding anyt
provided to that part of the record whic
exempt from disclosure under this Act
any part that contains exempt informat

(2) Where access is granted to a
Central Public Information Officer or S
may be, shall give a notice to the appli

(a) that only part of the rec
containing information
provided;

(b) the reasons for the decis
question of fact, referri
were based;

(c) the name and designati

(d) the details of the fees c
fee which the applicant

(e) his or her rights with r
non-disclosure of part o
or the form of access pr
ior officer specified und
tral Information Commi
as the case may be, tim
cess.

धारा 10. पृथकत्व योग्य (Severab
आधार पर नामंजूर किया जाता है कि यह उस सूचन
तब, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते
की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन ऐसी सू
किसी उस भाग से युक्तियुक्त रूप से पृथक् किया

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पहुंच

to the provisions of Section 8, a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State.

धारा 9. कतिपय मामलों में पहुंच (access) की नामंजूरी के लिये आधार (grounds).— धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी उस दशा में सूचना के लिये अनुरोध को नामंजूर कर सकेगा जहां पहुंच प्रदान करने के लिये ऐसा अनुरोध राज्य को छोड़कर अन्य व्यक्ति में वर्तमान प्रतिलिप्याधिकार (copyright) के अतिलंघन में अंतर्ग्रस्त होगा।

10. Severability.— (1) Where a request for access to information is rejected on the ground that it is in relation to information which is exempt from disclosure, then, notwithstanding anything contained in this Act, access may be provided to that part of the record which does not contain any information which is exempt from disclosure under this Act and which can reasonably be severed from any part that contains exempt information.

(2) Where access is granted to a part of the record under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall give a notice to the applicant, informing—

(a) that only part of the record requested, after severance of the record containing information which is exempt from disclosure, is being provided;

(b) the reasons for the decision, including any findings on any material question of fact, referring to the material on which those findings were based;

(c) the name and designation of the person giving the decision;

(d) the details of the fees calculated by him or her and the amount of fee which the applicant is required to deposit; and

(e) his or her rights with respect to review of the decision regarding non-disclosure of part of the information, the amount of fee charged or the form of access provided, including the particulars of the senior officer specified under sub-section (1) of Section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, time limit, process and any other form of access.

धारा 10. पृथकत्व योग्य (Severability).— (1) जहां पहुंच की सूचना का अनुरोध इस आधार पर नामंजूर किया जाता है कि यह उस सूचना के सम्बन्ध में है जो प्रकटन से विमुक्त (exempt) है तब, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख (रिकार्ड) के उस भाग तक प्रदान की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन ऐसी सूचना नहीं रखता है जो प्रकटन से विमुक्त हो और जिसको किसी उस भाग से युक्तियुक्त रूप से पृथक् किया जा सकता है जिसमें सूचना की विमुक्ति अन्तर्विष्ट है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पहुंच अभिलेख (रिकार्ड) के भाग तक मंजूर की गई है केन्द्रीय

लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदक को यह सूचित करते हुए नोटिस देगा :—

(a) यह कि अनुरोध किये गये अभिलेख का केवल वह भाग उस अभिलेख में अन्तर्विष्ट उस सूचना से, जो कि प्रकटन से विमुक्त है पृथकत्व के पश्चात, बताया जा रहा है;

(b) विनिश्चय के लिये कारणों में तथ्यों के सारवान प्रश्न पर किसी निष्कर्ष को उस सामग्री को निर्दिष्ट करते हुए जिन पर उन निष्कर्षों को आधारित किया गया है सम्मिलित किया जायेगा;

(c) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पदनाम;

(d) उसके (him or her) द्वारा आकलित फीस का ब्यौरा और उस फीस की रकम जो आवेदक से जमा कराई जाना अपेक्षित है, और

(e) उसके (his or her) अधिकार उस विनिश्चय के पुनर्विलोकन (review) के संबंध में जो सूचना के भाग-के अप्रकटन (non-disclosure) के बारे में है; प्रभारित फीस की रकम या प्रदत्त पहुंच का प्ररूप (or the form of access); तथा धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन वरिष्ठ (सीनियर) विनिर्दिष्ट अधिकारी की या केन्द्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति राज्य सूचना आयोग, समय सीमा, प्रक्रम (process), तथा अन्य कोई पहुंच का प्ररूप, की विशिष्टियों सहित; (नोटिस देगा)।

11. Third party information.— (1) Where a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose any information or record, or part thereof on a request made under this Act, which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall, within five days from the receipt of the request, give a written notice to such third party of the request and of the fact that the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose the information or record, or part thereof, and invite the third party to make a submission in writing or orally, regarding whether the information should be disclosed, and such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information :

Provided that except in the case of trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed if the public interest in disclosure outweighs in importance any possible harm or injury to the interests of such third party.

(2) Where a notice is served by the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, under sub-section (1) to a third party in respect of any information or record or part thereof, the third party shall, within ten days from the date of receipt of such notice, be given the opportunity to make representation against the proposed disclosure.

(3) Notwithstanding anything contained in Section 7, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall, within forty days after receipt of the request under Section 6, if the third party has been given an opportunity to make representation under sub-section (2), make a

decision as to whether or not to disclo
and give in writing the notice of his de

(4) A notice given under sub-s
third party to whom the notice is given
19 against the decision.

धारा 11. तीसरे/पर पक्ष को सूचना (
लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अ
अनुरोध (request) पर किसी सूचना या अभिलेख
है जो कि तीसरे/पर पक्ष से सम्बन्धित है या तीस
पक्ष द्वारा उसे गोपनीय रूप से माना गया है, तब
सूचना अधिकारी, अनुरोध की प्राप्ति के दिनांक से
नोटिस ऐसे तीसरे/पर पक्ष को देगा और यह तथ्य
सूचना अधिकारी, यथास्थिति सूचना या अभिलेख
पक्ष को लिखित में या मौखिक निवेदन करने के लि
की जाना चाहिये? और तीसरे पक्ष/पर पक्ष का ऐस
विनिश्चय करते समय दृष्टि में रखा जायेगा :

परन्तु यह कि विधि द्वारा संरक्षित व्यापार
अनुज्ञात किया जा सकता है यदि प्रकटन में लोक
को पहुंचने की अपेक्षा उस पर भारी पड़ता है।

(2) जहां केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
(1) के अधीन तीसरे पक्ष को किसी सूचना या अ
है वहां तीसरे/पर पक्ष को ऐसे नोटिस की तामील
जायेगा कि वह प्रस्तावित प्रकटन के विरोध में अ

(3) धारा 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के
सूचना अधिकारी, यथास्थिति धारा 6 के अधीन अ
यदि तीसरे पक्ष को उपधारा (2) के अधीन अभ्या
बारे में करेगा कि क्या सूचना या अभिलेख या उस
और अपने विनिश्चय (decision) का लिखित

(4) उपधारा (3) के अधीन दिये गये
नोटिस दिया गया है उसे विनिश्चय के विरुद्ध ध

(1) यह धारा 11 तीसरे पक्ष के हितों का ध
द्वारा सूचना/रिकार्ड/या भाग के प्रकटन के बारे में विरो
में रखते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही

(2) तीसरे पक्ष के विरुद्ध विनिश्चय होने

CH

THE CENTRAL INFO

12. Constitution of Centra
tral Government shall, by notificatio

decision as to whether or not to disclose the information or record or part thereof and give in writing the notice of his decision to the third party.

(4) A notice given under sub-section (3) shall include a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under Section 19 against the decision.

धारा 11. तीसरे/पर पक्ष को सूचना (Third Party Information).— (1) जहां केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति इस अधिनियम के अधीन किये गये अनुरोध (request) पर किसी सूचना या अभिलेख (रिकार्ड) या उसके भाग को प्रकट करने का आशय रखता है जो कि तीसरे/पर पक्ष से सम्बन्धित है या तीसरे/पर पक्ष द्वारा आवेदन दिया गया है और तीसरे पक्ष/पर पक्ष द्वारा उसे गोपनीय रूप से माना गया है, तब केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी, अनुरोध की प्राप्ति के दिनांक से पांच दिनों (5 days) के भीतर अनुरोध पर एक लिखित नोटिस ऐसे तीसरे/पर पक्ष को देगा और यह तथ्य बतायेगा कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति सूचना या अभिलेख या उसका भाग प्रकट करने का आशय रखता है और तीसरे पक्ष को लिखित में या मौखिक निवेदन करने के लिये आमंत्रित करता है इसके संबंध में कि क्या सूचना प्रकट की जाना चाहिये? और तीसरे पक्ष/पर पक्ष का ऐसा निवेदन (submission) सूचना प्रकट करने के बारे में विनिश्चय करते समय दृष्टि में रखा जायेगा :

परन्तु यह कि विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्य की गोपनीयता के मामले को छोड़कर प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकता है यदि प्रकटन में लोक हित किसी संभावित हानि या क्षति ऐसे तीसरे पक्ष के हितों को पहुंचने की अपेक्षा उस पर भारी पड़ता है।

(2) जहां केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन तीसरे पक्ष को किसी सूचना या अभिलेख या उसके भाग के बारे में नोटिस तामील किया गया है वहां तीसरे/पर पक्ष को ऐसे नोटिस की तामील से दस दिनों (Ten days) के भीतर यह अवसर दिया जायेगा कि वह प्रस्तावित प्रकटन के विरोध में अभ्यावेदन (representation) दे सके।

(3) धारा 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति धारा 6 के अधीन अनुरोध की प्राप्ति से चालीस दिनों (forty days) के भीतर, यदि तीसरे पक्ष को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन देने का अवसर दे दिया गया है अपना विनिश्चय इस बारे में करेगा कि क्या सूचना या अभिलेख या उसके भाग को प्रकट किया जाय अथवा प्रकट नहीं किया जाय और अपने विनिश्चय (decision) का लिखित में नोटिस तीसरे/पर पक्ष को देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिये गये नोटिस में यह विवरण शामिल होगा कि तीसरा पक्ष जिसे नोटिस दिया गया है उसे विनिश्चय के विरुद्ध धारा 19 के अधीन अपील करने का अधिकार होगा।

टिप्पणी

(1) यह धारा 11 तीसरे पक्ष के हितों का ध्यान रखने और सक्षम सम्बन्धित केन्द्र/राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना/रिकार्ड/या भाग के प्रकटन के बारे में विरोध दर्ज कराने और उस विरोध को विनिश्चय करने के समय ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है।

(2) तीसरे पक्ष के विरुद्ध विनिश्चय होने पर तीसरे पक्ष को धारा 19 के अधीन अपील का अधिकार रहेगा।

CHAPTER - III

THE CENTRAL INFORMATION COMMISSION

12. Constitution of Central Information Commission.— (1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to

be known as the Central Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Central Information Commission shall consist of—

(a) the Chief Information Commissioner; and

(b) such number of Central Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.

(3) The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of—

(i) the Prime Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of Opposition in the Lok Sabha; and

(iii) a Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister.

Explanation.— For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the House of the People has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the House of the People shall be deemed to be the Leader of Opposition.

(4) The general superintendence, direction and management of the affairs of the Central Information Commission shall vest in the Chief Information Commissioner who shall be assisted by the Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the Central Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.

(5) The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.

(6) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.

(7) The headquarters of the Central Information Commission shall be at Delhi and the Central Information Commission may, with the previous approval of the Central Government, establish offices at other places in India.

अध्याय - 3

केन्द्रीय सूचना आयोग

धारा 12. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन.— (1) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से जानने योग्य एक निकाय (body) का गठन इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करने तथा सौंपे गये कृत्यों (functions) का निर्वहन करने के लिये करेगी।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग में (निम्नलिखि

(a) मुख्य सूचना आयुक्त, और

(b) ऐसी संख्या में केन्द्रीय सूचना आ
नहीं हों जैसा कि आवश्यक सम

(3) मुख्य सूचना आयुक्त को और सूचन
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा :—

(i) प्रधानमंत्री, इस कमेटी के चेयरमै

(ii) लोक सभा में विपक्ष के नेता, अ

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्देशित, के

स्पष्टीकरण.— सन्देहों का निवारण करने
जहां इस रूप में लोक सभा में वि
सभा में सबसे बड़े समूह की ए

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यकलाप
मुख्य सूचना आयुक्त में निहित (vest) होंगे, जिस
समस्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सम
या क्रियान्वयन इस अधिनियम के अधीन किसी
स्वायत्तशासी के रूप में, केन्द्रीय सूचना आयोग द्वा

(5) मुख्य सूचना आयुक्त (कमिश्नर) तथ
लोक जीवन में विधि, विज्ञान और तकनीक, सामाजि
media, या प्रशासन और शासन में विस्तृत जानका

(6) मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सूचना
टेरेटरी) क्षेत्र अधिकार के सदस्य, या किसी राज्य वि
पद धारण नहीं करेंगे या किसी राजनीतिक दल से स

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग (कमीशन) का
भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन लेकर भारत में अन्य

13. Term of office and conditio
Commissioner shall hold office for a ter
enters upon his office and shall not be e

Provided that no Chief Informati
after he has attained the age of sixty-fiv

(2) Every Information Commis
years from the date on which he enters
sixty-five years, whichever is earlier, an
such Information Commissioner :

Provided that every Information
under this sub-section be eligible for ap
missioner in the manner specified in sub

Provided further that where the

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग में (निम्नलिखित) रहेंगे :—

(a) मुख्य सूचना आयुक्त, और

(b) ऐसी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्तों को रखा जायेगा जो दस की संख्या से अधिक नहीं हों जैसा कि आवश्यक समझा जाय।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त को और सूचना आयुक्तों को निम्नलिखित कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा :—

(i) प्रधानमंत्री, इस कमेटी के चेयरमैन रहेंगे;

(ii) लोक सभा में विपक्ष के नेता, और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्देशित, केन्द्रीय मंत्री परिषद का एक मंत्री,

स्पष्टीकरण.— सन्देहों का निवारण करने के प्रयोजनों के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि जहां इस रूप में लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां लोक सभा में सबसे बड़े समूह की एकल (single) पार्टी विपक्ष का नेता समझा जायेगा।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यकलाप, सामान्य अधीक्षण, निर्देश, प्रबंध (management) मुख्य सूचना आयुक्त में निहित (vest) होंगे, जिसकी सूचना आयोगों द्वारा सहायता की जायेगी और वह समस्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और समस्त ऐसे कार्य और बातों को कर सकेगा जिसका प्रयोग या क्रियान्वयन इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशन के अध्यधीन हुए बिना, स्वायत्तशासी के रूप में, केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा किया जा सकेगा।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त (कमिश्नर) तथा सूचना आयुक्तों में ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति होंगे जिनको लोक जीवन में विधि, विज्ञान और तकनीक, सामाजिक सेवा, प्रबंध (management) पत्रकारिता, mass media, या प्रशासन और शासन में विस्तृत जानकारी और अनुभव हो।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सूचना आयुक्त, यथास्थिति संसद सदस्य या संघीय (यूनियन टेरेटरी) क्षेत्र अधिकार के सदस्य, या किसी राज्य विधान मंडल के सदस्य नहीं होंगे या किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होंगे या कोई प्रोफेशन स्वीकार नहीं करेंगे।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग (कमीशन) का हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन लेकर भारत में अन्य स्थानों में कार्यालयों को स्थापित कर सकेगा।

13. Term of office and conditions of service.— (1) The Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for reappointment :

Provided that no Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

(2) Every Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such Information Commissioner :

Provided that every Information Commissioner shall, on vacating his office under this sub-section be eligible for appointment as the Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of Section 12 :

Provided further that where the Information Commissioner is appointed as

the Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the Information Commissioner and the Chief Information Commissioner.

(3) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall before he enters upon his office make and subscribe before the President or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.

(4) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the President, resign from his office :

Provided that the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may be removed in the manner specified under Section 14.

(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of—

(a) the Chief Information Commissioner shall be the same as that of the Chief Election Commissioner;

(b) an Information Commissioner shall be the same as that of an Election Commissioner :

Provided that if the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner, at the time of his appointment is, in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of the service as the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity :

Provided further that if the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner if, at the time of his appointment is, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect of the service as the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits :

Provided also that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their ap-

(6) The Central Government shall provide the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.

धारा 13. पदावधि और सेवा की शर्तें.— (1) मुख्य सूचना आयुक्त (कमिश्नर) की उस दिनांक से जब वह अपने आफिस में प्रवेश करते हैं पांच वर्ष की पदावधि होगी और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

परन्तु यह कि मुख्य सूचना आयुक्त (कमिश्नर) उस आयु के पश्चात् जब वह आयु के पैंसठ वर्ष प्राप्त कर लेते हैं, पद धारण नहीं करेंगे।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त उस तारीख से जब वह अपने आफिस में प्रवेश करता है पाँच वर्ष की पदावधि के लिये पद धारण करेगा अथवा जब तक कि वह अपनी आयु का पैंसठ वर्ष प्राप्त कर लेता है इसमें जो भी पूर्वतर हो और ऐसे सूचना आयुक्त (कमिश्नर) के रूप में पुनर्नियुक्त होने के लिये पात्र नहीं होंगे:

परन्तु यह कि प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन पद खाली करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति (in manner) मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है उसकी पदावधि पांच वर्ष से अधिक कुल योग में सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदधारण करने में नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त इसके पहले कि वह अपने पद पर प्रवेश करता है, राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस बारे में नियुक्त किये गये किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्ररूप के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा तथा प्रतिज्ञान/पुष्टिकरण पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हाथ से लिखे हुए (पत्र) द्वारा अपने पद को त्याग कर सकेगा :

परन्तु यह कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में (पद से) हटाये जा सकेंगे।

(5) देय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें :—

(a) मुख्य सूचना आयुक्त के (वेतन भत्ते, सेवा निबंधन एवं शर्तें) वही होंगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की होती हैं;

(b) सूचना आयुक्त के (वेतन भत्ते तथा सेवा निबन्धन एवं शर्तें) वही होंगी जो निर्वाचन आयुक्त की होती हैं :

परन्तु यह कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय असमर्थता/निःशक्तता (disability) या क्षति पेंशन को छोड़कर, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त करता है तो उसके मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में वेतन से उस पेंशन की रकम तथा पेंशन के ऐसे भाग को शामिल करते हुए जो संराशि (commuted) की गई है (उस रकम को) तथा सेवानिवृत्ति के अन्य रूपों के लाभ की समान पेंशन की रकम घटा दी जायेगी इसमें

समय किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व की या नियंत्रित किसी सरकारी कम्पनी में उसकी किसी पूर्व में दी गई सेवा के बारे में सेवा निवृत्ति के लाभ प्राप्त किये जाते हैं तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के बारे में उसके वेतन की रकम से सेवानिवृत्ति के लाभों के बराबर पेंशन की रकम घटा दी जायेगी :

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात् उनके वेतनों, भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों में कोई फेरफार नहीं किया जायेगा (shall not be varied);

(6) इस अधिनियम के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के कृत्यों के कुशल निर्वहन के लिये यथा आवश्यक ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनको दिया जायेगा और उन अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये है उन्हें देय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबन्धन (Terms) और शर्तें (Conditions) ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जायं।

14. Removal of Chief Information Commissioner or Information Commissioner.— (1) Subject to the provisions of sub-section (3), the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the President on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the President, has, on inquiry, reported that the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed.

(2) The President may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the Chief Information Commissioner or Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section (1) until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the President may by order remove from office the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner if the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner, as the case may be,—

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the President, involves moral turpitude; or

(c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(d) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Chief Information Commissioner

in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be guilty of misbehaviour.

धारा 14. मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का हटाया जाना (removal).— (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन (subject to), राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को किये गये रिफरेन्स (reference) पर, जांच पर सुप्रीम कोर्ट यह रिपोर्ट देता है कि मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को यथास्थिति ऐसे आधारों पर हटाया जाना चाहिये तब राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को सिद्ध हुए दुर्व्यवहार या असमर्थता/अक्षमता/अयोग्यता के आधार पर हटा दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके बारे में रिफरेन्स सुप्रीमकोर्ट को किया गया है, उस रिफरेन्स पर सुप्रीमकोर्ट की रिपोर्ट आने और उस पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किये जाने तक राष्ट्रपति जांच के दौरान पद से निलम्बित कर सकते हैं और यदि आवश्यक समझा जाये तो आफिस में उपस्थित रहने से निषेध भी कर सकते हैं।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को पद से हटा सकते हैं यदि मुख्य सूचना आयुक्त या यथास्थिति सूचना आयुक्त :—

(a) दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है, या

(b) ऐसे अपराध से दोषसिद्ध किया गया है जो प्रेसीडेन्ट की राय में वह अपराध नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त है, या

(c) अपने पद के कार्यकाल के दौरान, अपने पद के कर्त्तव्यों के बाहर किसी भुगतान प्राप्त नियोजन में संलग्न है, या

(d) राष्ट्रपति की राय में मस्तिष्क की अथवा शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने पद पर निरन्तर बने रहने के अयोग्य है; या

(e) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त (कमिश्नर) किसी भी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार की ओर से किये गये किसी संविदा/अनुबंध या करार से सम्बन्धित हैं या हित रखते हैं या उस संविदा या करार के लाभ या उससे उत्पन्न उपलब्धियां/पारिश्रमिक में किसी प्रकार से सदस्य के रूप में और किसी निगमित/सम्मिलित कम्पनी में अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप में होने की अपेक्षा, अन्यथा रूप से भागीदार हैं, वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये दुर्व्यवहार का दोषी समझा जायेगा।

CHAPTER - IV

THE STATE INFORMATION COMMISSION

15. Constitution of State Information Commission.— (1) Every State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the ..... (name of the State) Information Commission to exercise the

(b) such number of State Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.

(3) The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation of a committee consisting of—

(i) the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of Opposition in the Legislative Assembly; and

(iii) a Cabinet Minister to be nominated by the Chief Minister.

Explanation.— For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the Legislative Assembly has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the Legislative Assembly shall be deemed to be the Leader of Opposition.

(4) The general superintendence, direction and management of the affairs of the State Information Commission shall vest in the State Chief Information Commissioner who shall be assisted by the State Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the State Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.

(5) The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.

(6) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.

(7) The headquarters of the State Information Commission shall be at such place in the State as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and the State Information Commissioner may, with the previous approval of the State Government, establish offices at other places in the State.

अध्याय - 4

राज्य सूचना आयोग

धारा 15. राज्य सूचना आयोग का गठन.— (1) प्रत्येक राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गये कृत्यों का निर्वहन करने के लिये, राज्य सूचना आयोग के नाम से ज्ञात होने वाले एक निकाय का गठन करेगी।

(a) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और

(b) राज्य सूचना आयुक्तों की ऐसी संख्या जो दस से अधिक नहीं हो, जैसी कि आवश्यकता समझी जाय;

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को (निम्नलिखित) कमेटी की सिफारिश/अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जायेगा :—

(i) मुख्यमंत्री, जो कमेटी का चेयरपर्सन/अध्यक्ष होगा;

(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता, और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले मंत्री परिषद के एक मंत्री।

स्पष्टीकरण.— सन्देहों का निवारण करने के प्रयोजन से, यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि जहां विपक्ष का नेता विधान सभा में इस रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हो गया है, सरकार में विपक्ष में सबसे बड़े एकल समूह का नेता विधान सभा में विपक्ष का नेता होना समझा जायेगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के क्रियाकलाप— सामान्य अधीक्षण, निर्देशन तथा प्रबंधन, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त मे निहित (Vest) रहेंगे जिसकी सहायता राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा की जायेगी और ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे समस्त कार्य तथा बातों को कर सकेगा जो स्वायत्तशासी रूप में राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशनों के अध्यधीन हुए बिना जिन शक्तियों का प्रयोग या कार्य का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों में सार्वजनिक जीवन में ऐसे प्रतिष्ठित/उत्कृष्ट व्यक्तियों को रखा जायेगा जिनकी व्यापक जानकारी/ज्ञान और विधि का, विज्ञान का तथा तकनीक, सामाजिक सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, Mass media या प्रशासन और शासन का अनुभव हो।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त संसद के सदस्य अथवा किसी राज्य या संघ के क्षेत्राधिकार, यथास्थिति, में विधायिका/विधान मंडल के सदस्य नहीं होंगे या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे या किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होंगे अथवा कोई कारोबार नहीं करेंगे या किसी प्रोफेशन को स्वीकार नहीं करेंगे।

(7) राज्य सूचना आयोग का हेडक्वार्टर (मुख्यालय) राज्य में ऐसी जगह होगा जैसा राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन लेकर राज्य में अन्य स्थानों में कार्यालयों को स्थापित कर सकेगा।

16. Term of office and conditions of service.— (1) The State Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for reappointment :

Provided that no State Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

(2) Every State Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such State Information Commissioner :

Provided that every State Information Commissioner shall, on vacating his

office under this sub-section, be eligible for appointment as the State Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of Section 15 :

Provided further that where the State Information Commissioner is appointed as the State Chief Information Commissioner, his terms of office shall not be more than five years in aggregate as the State Information Commissioner and the State Chief Information Commissioner.

(3) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall before he enters upon his office make and subscribe before the Governor or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.

(4) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office :

Provided that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may be removed in the manner specified under Section 17.

(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of—

(a) the State Chief Information Commissioner shall be the same as that of an Election Commissioner;

(b) the State Information Commissioner shall be the same as that of the Chief Secretary to the State Government :

Provided that if the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, at the time of his appointment is, in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity :

Provided further that where the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if, at the time of his appointment is, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner or the State Information Commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits :

of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment.

(6) The State Government shall provide the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.

धारा 16. पद का कार्यकाल (पदावधि) और सेवा की शर्तें.— (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पाँच वर्षों की पदावधि के लिये पद धारण करेगा उस दिनांक से जिसको वह अपने पद पर प्रवेश करता है/ ग्रहण करता है और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त इस रूप में जब कि उसने अपनी आयु के (65) पैंसठ वर्ष प्राप्त कर लिये हैं, उसके पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस दिनांक से जिसको वह पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की पदावधि के लिये पद धारण करेगा या जब तक कि वह आयु के पैंसठ (65) वर्ष प्राप्त करता है इसमें जो अवधि भी पूर्वतर हो, और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन पद खाली करते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में नियुक्ति के लिये पात्र होगा:

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसकी पदावधि कुल मिलाकर (in aggregate) राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पाँच वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त इसके पहले कि वह पद ग्रहण करता है, राज्यपाल या इस बारे में उनके द्वारा नियुक्त किये गये अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा तथा प्रतिज्ञान/पुष्टिकरण प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्ररूप के अनुसार हस्ताक्षरित करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हाथ से लिखे हुए पत्र द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा :

परन्तु यह कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति में हटाया जा सकेगा।

(5) देय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य निबन्धन और शर्तें (इस प्रकार) होंगी :—

(a) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वही होंगे जैसे कि निर्वाचन आयुक्त के होते हैं;

(b) राज्य सूचना आयुक्त के वही होंगे जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव के होते हैं :

परन्तु यह कि यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय पेंशन असमर्थता/नि:शक्तता या क्षति पेंशन को छोड़कर भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा की गई किसी पूर्व सेवा के बारे में प्राप्त करता है तब राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसकी सेवा के बारे में उसके वेतन से उस पेंशन की रकम, पेंशन के उस भाग को शामिल करके जो किसी

बराबर की रकम घटाई जायेगी, सेवा निवृत्ति की ग्रेच्युटी के बराबर पेंशन को छोड़ दिया जायेगा/वेतन से उसे नहीं घटाई जायेगी :

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त यदि उसकी नियुक्ति के समय यदि उसके द्वारा पूर्व में दी गई किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगम में सेवा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व की या उसके द्वारा नियंत्रित सरकारी कम्पनी में दी गई पूर्व सेवा के बारे में सेवानिवृत्ति के लाभ प्राप्त करता है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसकी सेवा के बारे में वेतन से सेवानिवृत्ति के लाभों के बराबर पेंशन की रकम घटा दी जायेगी:

परन्तु यह भी कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतनों, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों को उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनको अलाभकर रूप में फेरफार (varied) नहीं किया जायेगा।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन दक्षता से उनके कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियुक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबन्धन (Terms) और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जायं।

17. Removal of State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner.— (1) Subject to the provisions of sub-section (3), the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the Governor on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the Governor, has on inquiry, reported that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed.

(2) The Governor may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section (1) until the Governor has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Governor may by order remove from office the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if a State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be,—

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Governor, involves moral turpitude; or

(c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(d) is, in the opinion of the Governor, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

prejudicially his functions as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner.

(4) If the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of the State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emoluments arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be guilty of misbehaviour.

धारा 17. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना.— (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा सुप्रीमकोर्ट को किये गये रिफरैन्स पर जांच के बाद राज्यपाल को यह रिपोर्ट की गई कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को यथास्थिति, ऐसे आधारों पर हटाया जाना चाहिये तब राज्यपाल के आदेश द्वारा सिद्ध/प्रमाणित दुर्व्यवहार या असमर्थता (अक्षमता) के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जावेगा।

(2) राज्यपाल उपधारा (1) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को जिनके विरुद्ध सुप्रीमकोर्ट को रिफरैन्स किया गया है, जांच के दौरान उस समय तक निलम्बित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो पद पर उपस्थित रहने का निषेध कर सकता है जब तक कि ऐसे रिफरैन्स पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है।

(3) उपधारा (1) में किसी भी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटा सकेगा यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति :—

(a) दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है, या

(b) ऐसे अपराध में सिद्धदोष किया गया है जो राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त है;

(c) अपनी पदावधि के कार्यकाल में किसी भुगतान किये गये (paid) नियोजन में संलग्न रहा है और वह उसके पदीय कर्त्तव्यों के बाहर था, या

(d) राज्यपाल की राय में वह मस्तिष्क की या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर निरंतर बने रहने के अनुपयुक्त/अयोग्य (unfit) है;

(e) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे उसके राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकार की ओर से की गई किसी संविदा या करार में, किसी रूप में सम्बन्धित है या हितबद्ध है या किसी रूप में उसके मुनाफे या उससे उत्पन्न किसी लाभ में या उपलब्धियों/पारिश्रमिक में सदस्य के रूप में या सम्मिलित कम्पनी में अन्य सदस्यों के साथ सदस्य होने की अपेक्षा अन्यथा रूप से भागीदारी करता है तो उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये वह दुर्व्यवहार का दोषी होना समझा जायेगा।

टिप्पणी (धारा 17)

2. उस रिफरैन्स पर सुप्रीमकोर्ट रिफरैन्स में दिये गये विवरण की जांच करेगी और जांच पर सुप्रीमकोर्ट राज्यपाल को रिपोर्ट करेगी कि वर्णित आधारों पर सम्बन्धित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, यथास्थिति पद से हटा दिया जाना चाहिये।

3. राज्यपाल द्वारा किये जाने वाले रिफरैन्स और सुप्रीमकोर्ट की ओर से रिफरैन्स पर रिपोर्ट राज्यपाल को प्राप्त होने तक, इस बीच के समय में राज्यपाल सम्बन्धित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को पद से निलम्बित रख सकता है या पद पर उपस्थित रहने का निषेध कर सकता है।

4. राज्यपाल सुप्रीमकोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर सिद्ध दुर्व्यवहार या असमर्थता/अक्षमता के आधारों पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को यथास्थिति आदेश द्वारा पद से हटा देगा।

CHAPTER – V

POWERS AND FUNCTIONS OF THE INFORMATION COMMISSIONS, APPEAL AND PENALTIES

18. Powers and functions of Information Commissions.— (1) Subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, to receive and inquire into a complaint from any person,—

(a) who has been unable to submit a request to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, either by reason that no such officer has been appointed under this Act, or because the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, has refused to accept his or her application for information or appeal under this Act for forwarding the same to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer or senior officer specified in sub-section (1) of Section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be;

(b) who has been refused access to any information requested under this Act;

(c) who has not been given a response to a request for information or access to information within the time limit specified under this Act;

(d) who has been required to pay an amount of fee which he or she considers unreasonable;

(e) who believes that he or she has been given incomplete, misleading or false information under this Act; and

(f) in respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act.

(2) Where the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, is satisfied that there are reasonable grounds to inquire

sion, as the case may be, shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents or things;

(b) requiring the discovery and inspection of documents;

(c) receiving evidence on affidavit;

(d) requisitioning any public record or copies thereof from any Court or office;

(e) issuing summons for examination of witnesses or documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything inconsistent contained in any other Act of Parliament or State Legislature, as the case may be, the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may, during the inquiry of any complaint under this Act, examine any record to which this Act applies which is under the control of the public authority, and no such record may be withheld from it on any grounds.

अध्याय - 5

सूचना आयोगों की शक्तियां (Powers) तथा कृत्य (functions), अपील और शास्तियां (Appeal and Penalties)

धारा 18. सूचना आयोगों की शक्तियाँ तथा कृत्य.— (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, केन्द्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति राज्य सूचना आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह किसी व्यक्ति की शिकायत/परिवाद (complaint) को प्राप्त करे और उसकी जांच करे :—

(a) जो (व्यक्ति) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध (request) निवेदन करने में या तो इस कारण असमर्थ (disable) हो गया कि इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है या इस कारण से क्योंकि केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी यथास्थिति ने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिये उसका (his or her) आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया है या अपील लेने और उसको केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट वरिष्ठ (सीनियर) अधिकारी या यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को अग्रेषित करने से इनकार कर दिया है;

(b) इस अधिनियम के अधीन जिसको अनुरोध की गई किसी सूचना की पहुंच करने से इनकार कर दिया गया है;

(c) जिसको इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय की अवधि के भीतर सूचना के लिए

(d) जिससे फीस के भुगतान करने हेतु जो रकम चाही गई उस रकम को वह (he or she) अयुक्तियुक्त (unreasonable) समझता है;

(e) वह विश्वास करता है/करती है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रामक/अशुद्ध अभिवचन या झूठी सूचना दी गई है, और

(f) किसी अन्य मामले के बारे में इस अधिनियम के अधीन अनुरोध करने या रिकार्ड तक पहुंच प्राप्त करने से सम्बन्धित हो।

(2) जहां केन्द्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति, राज्य सूचना आयोग का इस बात से समाधान हो जाता है कि मामले में जांच करने के युक्तियुक्त आधार हैं तो वह उस मामले के बारे में जांच की पहल कर सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले की जांच करते समय केन्द्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति राज्य सूचना आयोग वही शक्तियां रखेगा जो सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्र. 5 सन् 1908) के अधीन दावे (suit) पर विचार करते समय निहित होती हैं निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में, यथा :—

(a) व्यक्तियों को समन करने, उनकी उपस्थिति पर बल देने और शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों या वस्तुओं को प्रस्तुत करने पर विवश करना;

(b) दस्तावेजों के प्रकट करने और निरीक्षण कराने को अपेक्षित करना;

(c) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(d) कोई लोक अभिलेख (Public Record) या उसकी कॉपीज किसी न्यायालय या कार्यालय से तलब करना;

(e) साक्षीगणों के या दस्तावेजों के परीक्षण के लिये समन जारी करना, और

(f) कोई अन्य मामला/विषय जिसे विहित (prescribed) किया जा सके।

(4) संसद के किसी अन्य अधिनियम में या राज्य विधान मण्डल के किसी अन्य कानून में यथास्थिति किसी असंगत बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग या यथास्थिति इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत/परिवाद की जांच के दौरान किसी अभिलेख का परीक्षण कर सकेंगे जिसे यह अधिनियम लागू होता है और वह (अभिलेख) लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और ऐसे अभिलेख उससे किसी आधार पर रोक कर नहीं रखा जा सकेगा।

टिप्पणी (धारा 18)

इस धारा में सूचना आयोगों की शक्तियों तथा कृत्य में शिकायत की जांच करने, विनिर्दिष्ट विषयों में सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने को प्राधिकृत किया गया।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति राज्य सूचना आयोग को धारा 18 में विनिर्दिष्ट दशाओं में किसी व्यक्ति की शिकायत/परिवाद (complaint) पर इस बात का समाधान होने पर कि जांच आवश्यक है, जांच करने का अधिकार है यदि उसके अनुरोध पर समयावधि में ध्यान नहीं दिया गया, या फीस अनुपयुक्त अयुक्तियुक्त मांगी गई या अपील को समयावधि में अग्रसर करने से इनकार कर दिया या अनुरोध पर सूचना की पहुंच नहीं कराई गई आदि आदि जिनका विवरण धारा 18 में दिया गया है उसे ध्यान से अध्ययन की आवश्यकता है।

19. Appeal.— (1) Any person who, does not receive a decision within the time specified in sub-section (1) or clause (a) of sub-section (3) of Section 7, or is aggrieved by a decision of the Central Public Information Officer or State Public

such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, in each public authority :

Provided that such officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he or she is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) Where an appeal is preferred against an order made by a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, under Section 11 to disclose third party information, the appeal by the concerned third party shall be made within thirty days from the date of the order.

(3) A second appeal against the decision under sub-section (1) shall lie within ninety days from the date on which the decision should have been made or was actually received, with the Central Information Commission or the State Information Commission :

Provided that the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(4) If the decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, against which an appeal is preferred relates to information of a third party, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give a reasonable opportunity of being heard to that third party.

(5) In any appeal proceedings, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, who denied the request.

(6) An appeal under sub-section (1) or sub-section (2) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of forty-five days from the date of filing thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing.

(7) The decision of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall be binding.

(8) In its decision, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, has the power to—

(a) require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provisions of this Act, including—

(i) by providing access to information, if so requested, in a particular form;

(ii) by appointing a Central Public Information Officer or State

(iv) by making necessary changes to its practices in relation to the maintenance, management and destruction of records;

(v) by enhancing the provision of training on the right to information for its officials;

(vi) by providing it with an annual report in compliance with clause (b) of sub-section (1) of Section 4;

(b) require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered;

(c) impose any of the penalties provided under this Act;

(d) reject the application.

(9) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give notice of its decision, including any right of appeal, to the complainant and the public authority.

(10) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed.

धारा 19. अपील (Appeal).— (1) कोई व्यक्ति धारा 7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के खण्ड (a) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय (decision) प्राप्त नहीं करता है/प्राप्त नहीं होता है अथवा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथास्थिति के विनिश्चय से दुखी (aggrieved) है वह ऐसी कालावधि के व्यतीत होने के तीस (30 days) दिनों के भीतर अथवा ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति (receipt) से तीस दिनों के भीतर ऐसे अधिकारी को जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक लोक प्राधिकारी में श्रेणी में वरिष्ठ हो (prefer an appeal to such officer who is senior in rank to) को अपील प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसा (अपीलीय) अधिकारी तीस दिनों की कालावधि के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिये ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में फाइल करने से निवारित/विवश (prevented) रहा।

(2) जहां अपील उस आदेश के विरुद्ध जो धारा 11 (ग्यारह) के अधीन तीसरे पक्ष की सूचना के प्रकट करने के बारे में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दिया गया है वहां सम्बन्धित तीसरे/पर पक्ष द्वारा आदेश की तारीख से तीस दिनों (30 days) के भीतर वह प्रस्तुत की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील केन्द्रीय सूचना आयोग को या राज्य सूचना आयोग को उस तारीख से नब्बे दिनों (Ninety days) के भीतर प्रस्तुत की जायेगी जिस तारीख को विनिश्चय पारित हो गया होना चाहिये अथवा उस तारीख से जब विनिश्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग यथास्थिति नब्बे दिनों (ninety days) की कालावधि के बीतने के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिये ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी, समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से निवारित/विवश विनिश्चय का सम्बन्ध तीसरे/पर पक्ष की सूचना से है ऐसे, विनिश्चय के विरुद्ध अपील की गई है तब केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग यथास्थिति उस तीसरे/पर पक्ष को सुनवाई के लिये युक्तियुक्त (reasonable) अवसर प्रदान करेगा।

(5) किसी भी अपील की कार्यवाही में इस बात का प्रमाणभार (onus to prove) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी पर रहेगा कि वह जिसने अनुरोध से इनकार किया है यह बताये कि उसके द्वारा अनुरोध का इनकार किया जाना न्यायोचित था।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील - अपील प्राप्त किये जाने से तीस दिनों के भीतर या ऐसे विस्तारित (बढ़ाये गये) कालावधि के भीतर जो अपील फाइल करने की तारीख से कुल मिलाकर पैंतालीस दिनों (forty five days) से अधिक नहीं हो यथास्थिति लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जायेगी।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकर (shall be binding) होगा।

(8) केन्द्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति राज्य सूचना आयोग, अपने विनिश्चय में यह शक्ति रखता है:—

(a) लोक प्राधिकारी से यह अपेक्षा करने की कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे/कदम उठाये कि जो इस अधिनियम के उपबंधों का परिपालन सुरक्षित करने के लिये आवश्यक हो सके (जिनमें) सम्मिलित—

(i) यदि ऐसा अनुरोध किया गया है तो सूचना की पहुंच का विशिष्ट प्ररूप में प्रदान किये जाने के द्वारा;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के द्वारा;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना को वैचारिक रूप की कोटियों में प्रकाशित करने के द्वारा;

(iv) अभिलेखों के बनाये रखने, व्यवस्था और नष्ट करने के सम्बन्ध में उसकी प्रथा (to its practices) में आवश्यक परिवर्तन किये जाने के द्वारा;

(v) पदधारियों के लिए सूचना के अधिकारों पर प्रशिक्षण के उपबन्ध की वृद्धि करने (उसे बढ़ाने) के द्वारा;

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (b) के परिपालन की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में उपबंध किये जाने के द्वारा;

(b) परिवादी/शिकायतकर्त्ता को जो हानि/क्षति/नुकसान पहुंचा है उसका प्रतिकर/मुआवजा देने की लोक प्राधिकारी से अपेक्षा करना;

(c) इस अधिनियम में दी गई शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित करना या लगाना;

(d) आवेदन नामंजूर (reject) करना;

(9) परिवादी को केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग यथास्थिति अपने विनिश्चय का नोटिस देगा जिसमें अपील का कोई अधिकार और लोक प्राधिकारी की सूचना सम्मिलित रहेगी।

(10) केन्द्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति राज्य सूचना आयोग, अपील को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चित करेगा जैसी कि प्रक्रिया विहित (prescribed) की जाय।

टिप्पणी (धारा 19)

(1) अपील एक कानूनी अधिकार है जो कानून के अधीन दुखी पक्ष को दिया जाता है, इसे स्पष्ट विधिक संशोधन द्वारा prospective effect भविष्यगामी संशोधन के प्रावधान से छीना जा सकता है किन्तु अपील का मामले के संस्थित होने के समय के कानूनी प्रावधान के अनुसार अपील का निहित अधिकार (vested right) सुरक्षित रहेगा।

(2) प्रोसीजरल लॉ (प्रक्रियात्मक विधि) में कोई निहित अधिकार नहीं रहता है किन्तु (substantive law) सारवान विधि के बारे में 'Lis' (वाद) के प्रारंभ के समय के विधि के उपबंध पक्षकार से लागू रहेंगे, पश्चात्वर्ती सारवान विधि का संशोधन पक्षकार के विधिक निहित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता।

(3) अपील प्राधिकारी की विविध शक्तियों के विवरण से पता चलता है कि अपील के अधीन मामले में उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी न्यायोचित विवेक विनिश्चय में प्रयोग करके यथासंभव अनुरोधकर्ता या तीसरे पक्ष/पर पक्ष को विधिसम्मत न्याय प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है।

(4) मूल आदेश में विनिश्चयकर्ता प्राधिकारी को कारण सहित ऐसा निर्णय देना चाहिये जिससे अपीलीय प्राधिकारी को मामला स्पष्ट समझने और विनिश्चयकर्ता मूल विचारण अधिकारी के तर्कों को सुगमता से जानने में सहायता मिले, अपीलाधीन आदेश अस्पष्ट, विधि एवं न्याय के असंगत नहीं हो और स्वच्छंद या मनमाने ढंग से (Arbitrarily) नहीं दिया गया हो।

(5) प्रक्रिया की जटिलता या गोपनीयता की आड़ लेकर अनुरोध के द्वारा सूचना की पहुंच तक अवरोधक रवैया/व्यवहार नहीं अपनाया जाना चाहिये। यही अपीली प्राधिकारी मामले की यथार्थता जानने में विचार करेगा और इस अधिनियम के उद्देश्यों को विफल (fail) होने से बचाएगा, सुरक्षित रखेगा और विधिसम्मत सूचना की पहुंच सुनिश्चित करेगा।

(6) प्रथम अपील में तथ्य और विधि के प्रश्नों पर सम्यक् विचार किया जाता है और प्रथम अपीली प्राधिकारी का महत्वपूर्ण कर्त्तव्य होता है कि वह अपीलाधीन मामले की फाइल पर सर्वांगपूर्ण अध्ययन करके एवं मस्तिष्क के प्रयोग के साथ मनन करके न्यायोचित निष्कर्ष पर पहुंचे।

(7) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, वस्तुतः केवल विधिक प्रश्नों पर अपील का निपटारा करते हैं, तथ्यात्मक प्रश्नों पर प्रथम अपीली प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम माना जाता है किन्तु फाइल की सामग्री के प्रतिकूल यदि तथ्यात्मक विकृत एवं दोषपूर्ण विनिश्चय प्रथम अपीली प्राधिकारी ने किये हैं तो द्वितीय अपीली प्राधिकारी तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलट सकता है विचारण प्राधिकारी तथा प्रथम अपीली प्राधिकारी के विधि के प्रश्न पर समवर्ती निष्कर्ष बाध्यकर नहीं होंगे।

(8) **अपीली न्यायालय के कर्त्तव्य और शक्ति.**— 1. माननीय सुप्रीमकोर्ट ने अपीली न्यायालय के कर्त्तव्य और शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण व्यवस्था, एक मामले— **संतोष हजारी** वि. **पुरुषोत्तम तिवारी मृत—वैध प्रतिनिधि द्वारा** 2001(1) MPJR 217 (SC) at page 223, पैरा 15 = 2001(3) M.P.H.T. 71 (SC) सुप्रीमकोर्ट (जस्टिस ए.एस. आनंद, जस्टिस आर.सी. लाहौटी तथा जस्टिस ब्रिजेश कुमार)

प्रथम अपील में पूरा मामला तथ्यों और कानून की पुनः सुनवाई के लिये खुला रहता है अपीली न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा विनिश्चय में दिये हुए कारणों की तथा अपीलाधीन विनिश्चय की समुचित अध्ययन/मनन एवं परीक्षण करके अपनी सहमति प्रकट करना होगी। यह सहमति परिश्रम एवं मनन/अध्ययन करके निष्कर्ष पर पहुंचने के बारे में बचने और आसानी से सहमति प्रकट करने से प्रथम अपीली न्यायालय का कर्त्तव्य पूरा नहीं होगा इसे सुप्रीमकोर्ट ने camouflage शब्द का प्रयोग करके (Note of Caution) सावधान करने का दिशा-निर्देश दिया है। प्रथम अपीली न्यायालय को मामले की प्रकृति के बीच से गुजरना होगा और मस्तिष्क का प्रयोग करना होगा तथा ऐसा विनिश्चय कारणों सहित विचारण प्राधिकारी के विनिश्चय से सहमति या असहमति के बारे में करना होगा। अपीली प्राधिकारी यदि असहमति प्रकट करता है तो उसे ऐसा करने का अधिकार है— [**मधुसूदन दास** वि. **श्रीमती नारायणी बाई तथा अन्य**, AIR 1983 SC 114]

अपीली प्राधिकारी को साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिये अपने जीवन के अनुभवों की सहायता लेकर निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिये और तथ्यों को संभावनाओं की कसौटी पर कसना चाहिये— [**चतुर्भुज पाण्डे** वि. **कलेक्टर रायगढ़**, 1969 JLJ 495 पैरा 6 सुप्रीमकोर्ट]

मामले में जिस देश के नागरिक के सिविल अधिकार अभिग्रस्त हों या प्रभावित हों वहां उस आदेश में सहज न्याय के सिद्धान्त तथा आदेश में विवेक या कारणों की प्रक्रिया (some process of reasoning) प्रकट होना चाहिये— [**वीनू नारायण जैन** वि. **म.प्र. राज्य**, 1996 RN 100 जस्टिस दोआबिया पैरा 2 हाईकोर्ट], [**अमरचंद पारीख केस**— 1996(1) MPJR 90 हाईकोर्ट];

20. Penalties.— (1) Where the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause, refused to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under sub-section (1) of Section 7 or *malafidely* denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till application is received or information is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed twenty five thousand rupees :

Provided that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him :

Provided further that the burden of proving that he acted reasonably and diligently shall be on the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be.

(2) Where the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause and persistently, failed to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under sub-section (1) of Section 7 or *malafidely* denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall recommend for disciplinary action against the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, under the service rules applicable to him.

धारा 20. शास्तियाँ.— (1) जहाँ केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, यथास्थिति किसी समय किसी परिवाद/शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय इस राय (opinion) का है/इस अभिमत का है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रदान नहीं की है अथवा दुर्भावना से सूचना के लिये अनुरोध को इनकार किया गया या जानबूझकर अशुद्ध, अपूर्ण या भ्रामक (misleading) सूचना दी गई है या सूचना को नष्ट कर दिया गया है जो कि अनुरोध का विषय या अनुरोध के अध्यधीन (subject of the request) थी या (सूचना के बारे में) किसी भी रीति में/किसी तरीके से उसकी आपूर्ति में बाधा पहुंचाई गई है तो (केन्द्रीय

सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग) उस समय तक प्रत्येक दिन की (Rs. 250) ढाई सौ रुपयों की शास्ति अधिरोपित करेगा जब तक कि आवेदन प्राप्त नहीं कर लिया जाता है या सूचना की आपूर्ति नहीं कर दी जाती है, तथापि ऐसी शास्ति की कुल योग की रकम पच्चीस हजार रुपयों से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथास्थिति पर कोई भी शास्ति अधिरोपित किये जाने के पहले उसे उसकी सुनवाई की जाने के लिये युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा :

परन्तु यह और कि इस बात का प्रमाण भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से सचेतना के साथ कार्य किया है केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी पर रहेगा।

(2) जहां केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग यथास्थिति किसी परिवाद/शिकायत या किसी अपील को विनिश्चित करते समय इस अभिमत/राय (opinion) का है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त (reasonable) कारण के बिना और दुराग्रह/जिदपूर्वक (persistently) सूचना प्राप्त करने के आवेदन को ग्रहण करने में विफल (failed) रहा है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना की आपूर्ति या प्रदान नहीं किया है या दुर्भावनापूर्वक सूचना के अनुरोध को इनकार किया है या जानबूझकर अशुद्ध, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी गई है या सूचना को विनष्ट किया गया है जो कि अनुरोध का विषय थी, अनुरोध के अधीन थी या किसी भी तरीके या रीति से सूचना की आपूर्ति या प्रदाय करने में अवरोध उत्पन्न किया गया है/रुकावट डाली गई या/अड़ंगा लगाया गया या/बाधा पहुंचाई गई तो केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के लिये सिफारिश उसे लागू होने योग्य सेवा नियमों के अधीन करेगा।

टिप्पणी (धारा 20)

1. धारा 20 के उपबंध इस बात के साक्षी है कि इस केन्द्रीय कानून के अधीन पारदर्शिता एवं जवाबदारी (Transparency and accountability) शासन एवं प्रशासन में भारतीय नागरिकों के प्रति बनाये रखने के लिये समुचित निष्ठापूर्वक उपबंध किये गये हैं इसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में एक्शन समय पर सतर्कतापूर्वक समुचित सक्षम नियंत्रणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा लिया जाने पर कानून की मंशा पूरी हो सकेगी और नागरिकों में अपने शासन/प्रशासन के प्रति श्रद्धा, विश्वास बढ़ेगा तथा कदाचार, दुराचार, पूर्वाग्रह, दुराग्रह, टालू प्रवृत्ति आदि की मानसिकता में आमूल परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, लोकतंत्र की गरिमा और गौरव प्रतिष्ठित होगा, तंत्र लोक पर हावी नहीं रहेगा, शासक जनसेवक होने की स्थिति समझेंगे।

CHAPTER – VI

MISCELLANEOUS

21. Protection of action taken in good faith.— No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

अध्याय - 6

विविध

धारा 21. सद्भावपूर्वक किये गये कार्य का संरक्षण.— किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात/कार्य के लिये कोई दावा, अभियोजन या अन्य वैधानिक कार्यवाही नहीं होगी जो कि सद्भावपूर्वक इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किया गया हो।

टिप्पणी (धारा 21)

1. जिस कार्य या बात के संबंध में उसका किया जाना सद्भावपूर्वक आशयित (intended) रहा है तब उसके विरुद्ध कोई दावा, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

2. सद्भावपूर्वक (in good faith) किसी कार्य के करने में ईमानदारी (honesty) का तत्व का समावेश रहता है, उस बात या कार्य में भले ही असावधानी रही हो या न रही हो।

3. किसी कार्य में अवैध रूप से कार्य करने का लोप (illegal omission) भी शमिल है।

4. जनरल क्लाजेज एक्ट (10/1897) की धारा 3 (22)) **महाराष्ट्र राज्य** वि. **चन्द्रकांत**, 1977 JLJ 225 (SC)।

22. Act to have overriding effect.— The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

धारा 22. अधिनियम का अध्यारोही (Overriding effect) प्रभाव होना.— इस अधिनियम के उपबन्ध का आफीशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 (क्र. 19 सन् 1923) और तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में या किसी (instrument) लिखत/दस्तावेज में जो इस अधिनियम को छोड़कर किसी अन्य विधि के आधार पर किसी बात के असंगत अंतर्विष्ट होते हुए भी प्रभाव रहेगा।

टिप्पणी

इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही, अभिभावी/सर्वोपरि प्रभाव रहेगा।

23. Bar of jurisdiction of Courts.— No Court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this Act.

धारा 23. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.— कोई न्यायालय किसी दावे, आवेदन या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश के संबंध में ग्रहण नहीं करेगा और ऐसा आदेश इस अधिनियम के अधीन अपील के मार्ग को छोड़कर अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

24. Act not to apply to certain organisations.— (1) Nothing contained in this Act shall apply to the intelligence and security organisations specified in the Second Schedule, being organisations established by the Central Government or any information furnished by such organisations to that Government :

Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section :

Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the Central Information Commission and notwithstanding anything contained in Section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.

(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule by including therein any other intelligence or security organi-

tion shall be deemed to be included in or, as the case may be, omitted from the Schedule.

(3) Every notification issued under sub-section (2) shall be laid before each House of Parliament.

(4) Nothing contained in this Act shall apply to such intelligence and security organisation being organisations established by the State Government, as that Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, specify:

Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section :

Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the State Information Commission and, notwithstanding anything contained in Section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.

(5) Every notification issued under sub-section (4) shall be laid before the State Legislature.

धारा 24. अधिनियम का कतिपय संगठनों (certain organisations) से लागू न होना.— (1) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुप्तचर विभाग (खुफिया विभाग) और सुरक्षा विभाग संगठनों में ये संगठन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित हैं। इनसे या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना से इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन ऐसी सूचना जो भ्रष्टाचार के अभिकथनों (आरोपों) से और मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है वह (इस उपधारा के अधीन) वर्जित (excluded) नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि उस स्थिति में जब चाही गई सूचना मानव अधिकारों के उल्लंघन के अभिकथनों के बारे में है तब केवल केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन/समर्थन के पश्चात् ही सूचना प्रदान की जायेगी और धारा 7 में अन्तर्विष्ट कोई बात क्यों न हो, ऐसी सूचना, अनुरोध प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों (45 days) के भीतर प्रदान की जायेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य गुप्तचर या सुरक्षा संगठनों को जो उस सरकार द्वारा स्थापित हैं अनुसूची में संशोधन के द्वारा सम्मिलित कर सकती है अथवा उसमें से पहले से ही विनिर्दिष्ट किसी संगठन को विलोपित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन अनुसूची में सम्मिलित होना या यथास्थिति विलोपित किया जाना मान लिया जायेगा/समझा जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे गुप्तचर और सुरक्षा संगठनों से जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये गये हैं और जैसा कि वह सरकार, समय-समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लागू नहीं होगी :

परन्तु यह कि भ्रष्टाचार के और मानव अधिकारों के उल्लंघन के अभिकथनों (आरोपों) से संबंधित

के बारे में चाही गई है वह सूचना केवल राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन/समर्थन के पश्चात् ही प्रदान की जायेगी और धारा 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना अनुरोध प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों (45 days) के भीतर प्रदान की जायेगी।

(5) प्रत्येक अधिसूचना उपधारा (4) में जो जारी की गई वह राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

टिप्पणी (धारा 24)

1. धारा 24 में केवल गुप्तचर विभाग तथा सुरक्षा विभाग जो केन्द्र या राज्य द्वारा स्थापित हैं उनके बारे में सूचना का प्रदान किया जाना वर्जित किया गया है लेकिन यदि भ्रष्टाचार से संबंधित या मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सूचना चाही गई है तो उसकी प्रक्रिया दी गई है जिसको अपनाकर सूचना तक पहुंच की जा सकती है।

2. अनुरोध की प्राप्ति के दिनांक से (45 days) की समयावधि भी नियत कर दी गई है।

3. संबंधित मामलों में धारा 24 में विनिर्दिष्ट दशाओं में सूचना केवल केन्द्रीय या राज्य के सूचना आयोग के अनुमोदन से ही प्रदान की जायेगी फिर भी समयावधि 45 दिन नियत कर दी गई है ताकि अनुमोदन प्राप्ति के बहाने में लम्बा समय न खींचा जा सके।

25. Monitoring and reporting.— (1) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, as soon as practicable after the end of each year, prepare a report on the implementation of the provisions of this Act during that year and forward a copy thereof to the appropriate Government.

(2) Each Ministry or Department shall, in relation to the public authorities within their jurisdiction, collect and provide such information to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, as is required to prepare the report under this section and comply with the requirements concerning the furnishing of that information and keeping of records for the purposes of this section.

(3) Each report shall state in respect of the year to which the report relates,—

(a) the number of requests made to each public authority;

(b) the number of decisions where applicants were not entitled to access to the documents pursuant to the requests, the provisions of this Act under which these decisions were made and the number of times such provisions were invoked;

(c) the number of appeals referred to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, for review, the nature of the appeals and the outcome of the appeals;

(d) particulars of any disciplinary action taken against any officer in respect of the administration of this Act;

(e) the amount of charges collected by each public authority under this Act;

(g) recommendations for reform, including recommendations in respect of the particular public authorities, for the development, improvement, modernisation, reform or amendment to this Act or other legislation or common law or any other matter relevant for operationalising the right to access information.

(4) The Central Government or the State Government, as the case may be, may, as soon as practicable after the end of each year, cause a copy of the report of the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, referred to in sub-section (1) to be laid before each House of Parliament or, as the case may be, before each House of the State Legislature, where there are two Houses, and where there is one House of the State Legislature before that House.

(5) If it appears to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, that the practice of a public authority in relation to the exercise of its functions under this Act does not conform with the provisions or spirit of this Act, it may give to the authority a recommendation specifying the steps which ought in its opinion to be taken for promoting such conformity.

धारा 25. प्रबोधन (Monitoring) तथा प्रतिवेदन (reporting).— (1) केन्द्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र उस वर्ष के दौरान (during that year) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट (प्रतिवेदन) तैयार करेगा और उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि समुचित सरकार को अग्रेषित की जायेगी।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, लोक प्राधिकारियों के संबंध में उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को यथास्थिति जैसा कि इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करना और सूचना की आपूर्ति के संबंध में अपेक्षाओं के साथ परिपालन और इस धारा के प्रयोजनों के लिये अभिलेख बनाये रखने के लिये अपेक्षित किया जाता है ऐसी सूचना प्रदान करेगा।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में उस वर्ष के बारे में जिससे रिपोर्ट सम्बन्धित है, कथन किया जायेगा:—

(a) प्रत्येक लोक प्राधिकारी को किये गये अनुरोधों की संख्या;

(b) ऐसे विनिश्चयों (decisions) की संख्या जहां आवेदकों को अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच की हकदारी नहीं थी; इस अधिनियम के उपबंध जिसके अधीन ये विनिश्चय किये गये और ऐसे उपबंधों पर कितनी बार सहायता मांगी गई (या आह्वान या अवलम्बन लिया गया) उसकी संख्या;

(c) उन अपीलों की संख्या जो केन्द्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति राज्य सूचना आयोग को पुनर्विलोकन के लिये निर्दिष्ट (referred) की गईं, अपीलों की प्रकृति और उन अपीलों के परिणाम;

(d) इस अधिनियम के प्रशासन के बारे में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही की विशिष्टियाँ;

(f) अन्य तथ्य जो इस अधिनियम के आशय और धारणा/भाव/अभिप्राय (spirit) के प्रशासन/संचालन/व्यवस्था (administer) और क्रियान्वयन के लिये लोक प्राधिकारियों द्वारा किये गये प्रयत्न/उपाय की ओर संकेत करते हों/दर्शाते हों;

(g) सुधार के लिये अनुशंसाएँ जिसमें सम्मिलित हैं, विशेष लोक प्राधिकारियों के बारे में अनुशंसाएँ— विकास उन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार इस अधिनियम में संशोधन या अन्य विधि निर्माण या सामान्य विधि या कोई अन्य विषय जो सूचना के पहुंच के अधिकार के प्रचालन से सम्बद्ध हो।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अंत (बीतने) के पश्चात् यथा साध्य शीघ्र केन्द्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की प्रति उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या यथास्थिति राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जहां दो सदन हों और जहां विधान मंडल का एक सदन हो उस सदन के समक्ष प्रस्तुत करायेगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को यथास्थिति यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन (exercise) के संबंध में प्रैक्टिस (व्यवहार/पद्धति/आचरण) इस अधिनियम के उपबंधों या उसकी धारणा/भाव/अभिप्राय (spirit) के अनुरूप नहीं है तो केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, लोक प्राधिकारी को अपनी सिफारिश उन कदमों (कार्यवाहियों) को विनिर्दिष्ट करते हुए जिन्हें उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को प्रोन्नत (promoting) करने के लिये उठाया जाना चाहिये (या कार्यवाही की जाना चाहिये) कर सकेगा।

टिप्पणी (धारा 25)

1. धारा 25 में "monitoring" शब्द महत्वपूर्ण है। इस शब्द से आशय है कि किसी भी कार्य के निष्पादन में क्रियात्मक स्थिति में उद्देश्य के अनुरूप संगति बैठाने के लिये जो वरिष्ठ अधिकारी पर्यवेक्षक या अधीक्षक हैं उनकी भावना या मानसिकता 'प्रबोधन' की रहेगी जिससे वे कार्य सम्पादन करने वाले लोक प्राधिकारी की समस्याओं से अवगत हों और इस अधिनियम की धारणा/भाव/अभिप्राय के अनुरूप प्रैक्टिस में जो क्रियात्मक सुधार अपेक्षित हैं उन्हें वरिष्ठ प्राधिकारी सिफारिश के तौर पर दिशा-निर्देश दें।

2. "प्रबोधन" में वरिष्ठ की अपने hands पर या अपनी "एजेन्सी" पर हुकूमत की भावना या विरुद्ध एक्शन लेने की तत्परता या प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की गुंजाइश नहीं है।

26. Appropriate Government to prepare programmes.— (1) The appropriate Government may, to the extent of availability of financial and other resources,—

(a) develop and organise educational programmes to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under this Act;

(b) encourage public authorities to participate in the development and organisation of programmes referred to in clause (a) and to undertake such programmes themselves;

(c) promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities; and

(d) train Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, of public authorities and produce

(2) The appropriate Government shall, within eighteen months from the commencement of this Act, compile in its official language a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner, as may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified in this Act.

(3) The appropriate Government shall, if necessary, update and publish the guidelines referred to in sub-section (2) at regular intervals which shall, in particular and without prejudice to the generality of sub-section (2), include—

(a) the objects of this Act;

(b) the postal and street address, the phone and fax number and, if available, electronic mail address of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of every public authority appointed under sub-section (1) of Section 5;

(c) the manner and the form in which request for access to an information shall be made to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be;

(d) the assistance available from and the duties of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of a public authority under this Act;

(e) the assistance available from the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be;

(f) all remedies in law available regarding an act or failure to act in respect of a right or duty conferred or imposed by this Act including the manner of filing an appeal to the Commission;

(g) the provisions providing for the voluntary disclosure of categories of records in accordance with Section 4;

(h) the notices regarding fees to be paid in relation to requests for access to an information; and

(i) any additional regulations or circulars made or issued in relation to obtaining access to an information in accordance with this Act.

(4) The appropriate Government must, if necessary, update and publish the guidelines at regular intervals.

धारा 26. समुचित सरकार का कार्यक्रम बनाना/तैयार करना (Appropriate Government to prepare programmes).— (1) समुचित सरकार वित्तीय तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक निम्नलिखित कार्य कर सकेगी :—

(a) पब्लिक की समझदारी बढ़ाने के लिये और खास तौर से (विशेष रूप से) लाभ न पाने वाले समुदायों में शैक्षणिक कार्यक्रम की स्थापना/संघटन एवं विकास इस बारे में कि इस अधिनियम के अधीन विचारित/अपेक्षित (अनुध्यात) अधिकारों का किस प्रकार प्रयोग करना;

(c) लोक प्राधिकारियों द्वारा अपनी गतिविधियों के बारे में ठीक/सही/शुद्ध सूचना का सामयिक और प्रभावी प्रसारण को प्रोन्नत करना;

(d) लोक प्राधिकारियों के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारीगण अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारीगण यथास्थिति को प्रशिक्षित करना और परस्पर लोक प्राधिकारियों द्वारा उपयोग के लिये सुसंगत प्रशिक्षण सामग्री प्रस्तुत करना।

(2) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने से अठारह महीनों के भीतर अपनी सरकारी भाषा में एक (guide) मार्गदर्शिका का संकलन करेगी जिसमें ऐसी सूचना आसानी (सुविधा) से (बोधगम्य) समझ में आने वाली रीति और प्ररूप में अन्तर्विष्ट होगी जो कि व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित की जा सकती है और जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकार के प्रयोग की इच्छा रखता है।

(3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट नियमित अंतरालों पर आदिनांक तथा मार्गदर्शन सिद्धान्त का प्रकाशन करेगी जिसमें विशेष रूप से तथा उपधारा (2) की व्यापकता को हानि पहुंचाये बिना निम्नलिखित सम्मिलित करेगी :—

(a) इस अधिनियम के उद्देश्य (objects);

(b) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकारी के यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के डाक खाने तथा मार्ग के पते यदि प्राप्य हो तो फोन नम्बर तथा फैक्स नम्बर, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस;

(c) वह रीति और प्ररूप जिसमें सूचना की पहुंच का अनुरोध केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को यथास्थिति किया जायेगा;

(d) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी से प्राप्त की जाने योग्य सहायता तथा यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के कर्त्तव्य;

(e) केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग यथास्थिति से प्राप्त की जाने योग्य सहायता;

(f) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या अधिरोपित अधिकार या कर्त्तव्य के बारे में किसी कार्य को करने या कार्य करने से विफल (failure) रहने से सम्बन्धित उपलब्ध विधि में समस्त उपचार (remedies) तथा आयोग को अपील फाइल किये जाने की रीति सहित;

(g) धारा 4 के अनुसार अभिलेख की श्रेणियों/वर्गों के स्वेच्छापूर्वक प्रकटन के लिये प्रदाय करने वाले उपबंध;

(h) सूचना की पहुंच के लिये अनुरोध के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस से संबंधित सूचनायें;

(i) इस अधिनियम के अनुसार सूचना की पहुंच को प्राप्त करने के संबंध में बनाये गये या जारी किये गये कोई अतिरिक्त विनियम अथवा विज्ञप्तियां; (regulations or circulars)।

(4) समुचित सरकार को यदि आवश्यक हो नियमित अंतरालों (at regular intervals) मार्गदर्शक सिद्धान्त आदिनांक (up date) रखना चाहिये तथा प्रकाशित करना चाहिये।

27. Power to make rules by appropriate Government.— (1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(a) the cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under sub-section (4) of Section 4;

(b) the fee payable under sub-section (1) of Section 6;

(c) the fee payable under sub-sections (1) and (5) of Section 7;

(d) the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees under sub-section (6) of Section 13 and sub-section (6) of Section 16;

(e) the procedure to be adopted by the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, in deciding the appeals under sub-section (10) of Section 19; and

(f) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

धारा 27. समुचित सरकार द्वारा नियमों को बनाने की शक्ति.— (1) समुचित सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप में और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम समस्त विषयों या निम्नलिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्धित किये जा सकेंगे, नामतः—

(a) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारण की जाने वाली सामग्री की छपाई खर्चे का मूल्य या मीडियम मूल्य (cost);

(b) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भुगतान की जाने योग्य फीस;

(c) धारा 7 की उपधारा (1) तथा (5) के अधीन भुगतान की जाने योग्य फीस;

(d) धारा 13 की उपधारा (6) तथा धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन भुगतान योग्य अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवाओं के निबन्धन और शर्तें;

(e) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों को विनिश्चित करने में यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(f) कोई अन्य विषय/मामला, जिसका होना अपेक्षित है या जिसे विहित किया जाय।

28. Power to make rules by competent authority.— (1) The competent authority may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(i) the cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under sub-section (4) of Section 4;

(ii) the fee payable under sub-section (1) of Section 6;

(iii) the fee payable under sub-section (1) of Section 7; and

(iv) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(2) विशेष रूप में, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समस्त विषयों या निम्नलिखित विषयों में से किसी पर ऐसे नियम बनाये जा सकेंगे, नामतः—

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्री की छपाई खर्चे का मूल्य या मीडियम का मूल्य (Cost);

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भुगतान योग्य फीस;

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भुगतान योग्य फीस, और

(iv) कोई अन्य विषय, जिसका होना अपेक्षित है या जिसे विहित किया जाये।

29. Laying of rules.— (1) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

(2) Every rule made under this Act by a State Government shall be laid, as soon as may be after it is notified, before the State Legislature.

धारा 29. नियमों का प्रस्तुत करना.— (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जायेंगे, जबकि संसद का सत्र चल रहा (in session) हो कुल समयावधि तीस दिनों की जिसे एक सेशन (सत्र) में है या दो में या अधिक उत्तरवर्त्ती सत्रों में समाविष्ट किया जा सकता है और यदि सत्रावसान के पूर्व तत्काल अनुवर्त्ती सत्र या उपरोक्त उत्तरवर्ती सत्रों के दोनों सदन नियम में किसी उपान्तरण (modifications) करने के लिये सहमत हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हैं कि नियम नहीं बनाये जाना चाहिये, तब नियम केवल तत्पश्चात् उपान्तरित रूप में प्रभावी रहेंगे या यथास्थिति प्रभावी नहीं रहेंगे, इसलिये तथापि कोई ऐसा उपान्तरण या रद्दकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गये किसी बात की वैधता को प्रतिकूल प्रभावित किये बिना होगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम इसको अधिसूचित किये जाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जायेंगे।

30. Power to remove difficulties.— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is

उपबंधों को जो इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत न हों जैसा कि उस कठिनाई के निवारण के लिये आवश्यक या समीचीन होना प्रतीत हो बना सकेगी :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्षों की कालावधि बीतने के पश्चात् ऐसा आदेश नहीं दिया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक दिया गया आदेश जब दिया गया उसके पश्चात् यथासाध्य शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

31. Repeal.— The Freedom of Information Act, 2002 (5 of 2003) is hereby repealed.

धारा 31. निरसन (Repeal).— सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 (क्र. 5 सन् 2003) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

THE FIRST SCHEDULE

[*See* Sections 13 (3) and 16 (3)]

FORM OF OATH OR AFFIRMATION TO BE MADE BY THE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER/THE INFORMATION COMMISSIONER/THE STATE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER/THE STATE INFORMATION COMMISSIONER

"I, ..., having been appointed Chief Information Commissioner/Information Commissioner/State Chief Information Commissioner/State Information Commissioner swear in the name of God (solemnly affirm) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws."

प्रथम अनुसूची

[धारा 13 (3) तथा 16 (3) देखिए]

मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त के शपथ या प्रतिज्ञान लिये जाने का प्ररूप

मैं ..... मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किये जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान के प्रति सत्य विश्वास एवं राज्यनिष्ठा रखूंगा; मैं, भारतीय संविधान जैसा विधि द्वारा स्थापित है, भारत की प्रभुता और अखण्डता स्थिर रखूंगा; मैं, अपने पद का सम्यक् रूप से, श्रद्धापूर्वक अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान एवं निर्णय से बिना किसी भय या पक्षपात के बिना या दुर्भावना के बिना कर्त्तव्यों का पालन करूंगा; मैं, संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखूंगा।

THE SECOND SCHEDULE

[*See* Section 24]

INTELLIGENCE AND SECURITY ORGANISATION ESTABLISHED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

1. Intelligence Bureau.
2. Research and Analysis Wing of the Cabinet Secretariat.
3. Directorate of Revenue Intelligence.
4. Central Economic Intelligence Bureau.
5. Directorate of Enforcement.
6. Narcotics Control Bureau.
7. Aviation Research Centre.
8. Special Frontier Force.
9. Border Security Force.
10. Central Reserve Police Force.
11. Indo-Tibetan Border Police.
12. Central Industrial Security Force.
13. National Security Guards.
14. Assam Rifles.
15. Special Service Bureau.
16. Special Branch (CID), Andaman and Nicobar.
17. The Crime Branch C.I.D.-C.B., Dadra and Nagar Haveli.
18. Special Branch, Lakshadweep Police.

T.K. Viswanathan
Secy. to the Govt. of India.

द्वितीय अनुसूची

(देखिए धारा 24)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित गुप्तचर तथा सुरक्षा संगठन :—

1. गुप्तचर ब्यूरो;
2. मंत्रिपरिषद् की सचिवालयीन (शाखा) विंग रिसर्च एण्ड एनेलेसिस (शोध एवं विश्लेषण);
3. राजस्व गुप्तचर का संचालनालय;
4. केन्द्रीय आर्थिक गुप्तचर केन्द्र (ब्यूरो);
5. प्रवर्त्तन संचालनालय;
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (Narcotics);
7. विमानन शोध केन्द्र (Aviation);
8. Special Frontier Force;
9. सीमा सुरक्षा बल;
10. केन्द्रीय आरक्षित सुरक्षा बल;
11. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस;
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल;
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड;
14. असम राईफल्स;
15. विशेष सेवा केन्द्र (स्पेशल सर्विस ब्यूरो);
16. विशेष ब्रांच (सी.आई.डी.) अंडमान और निकोबार;
17. अपराध शाखा सी.आई.डी., सी.बी. दादरा और नागर हवेली;
18. विशेष शाखा, लक्षद्वीप पुलिस।

टी.के. विश्वनाथन
भारत सरकार के सचिव.

मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002

क्रमांक 3 सन् 2003*

[दिनांक 24 जनवरी, 2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 31 जनवरी, 2003 को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन लोक हित में संगत जानकारी तक राज्य के प्रत्येक नागरिक की पहुँच को सुनिश्चित करने और प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता को एक अधिकार के रूप में प्रोन्नत करने तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002** है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

2. परिभाषाएँ— इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "**निजी जानकारी**" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति के बारे में अभिलिखित जानकारी;

(ख) "**लोक निकाय**" से अभिप्रेत है,—

(एक) राज्य सरकार के समस्त कार्यालय;

(दो) राज्य विधान सभा के किसी ऐसे अधिनियम के, जो तत्समय प्रवृत्त हों, अधीन गठित समस्त स्थानीय प्राधिकारी तथा कानूनी प्राधिकारी और ऐसी समस्त कंपनी, निगम तथा सहकारी समिति जिनमें इक्यावन प्रतिशत से अन्यून समादत्त शेयर पूंजी राज्य सरकार द्वारा धारित है,

किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं—

(एक) मध्यप्रदेश में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय;

(दो) मध्यप्रदेश राज्य में स्थित सशस्त्र बल या केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (पैरा मिलिटरी फोर्स) की कोई स्थापना;

(तीन) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के निगम;

(चार) धार्मिक संगठन;

(पाँच) मध्यप्रदेश विधान सभा;

(छह) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय तथा अधिकरणों को सम्मिलित करते हुए अन्य न्यायालय और अन्य संगठन जिन्हें न्यायालय की प्रास्थिति प्राप्त है तथा जिनकी कार्यवाहियाँ न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाती हैं;

(सात) मध्यप्रदेश के राज्यपाल का सचिवालय;

(आठ) लोक आयुक्त कार्यालय।

(ग) "**लोक निकाय का प्रमुख**" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी लोक निकाय के कामकाज का मुख्य कार्यपालक या प्रभारी व्यक्ति है;

(घ) ''पदाभिहित अधिकारी'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु किसी लोक निकाय के प्रमुख द्वारा नियुक्त अधिकारी;

(ङ) ''अभिलेख'' से अभिप्रेत है,—

(एक) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;

(दो) कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिक और किसी दस्तावेज की फेसीमाइल प्रति;

(तीन) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिंब का कोई प्रत्युत्पादन (चाहे वृहत् हो या न हो); और

(चार) किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

3. लोक निकायों की बाध्यताएँ— प्रत्येक लोक निकाय,—

(क) समस्त अभिलेख ऐसी रीति और प्ररूप में संधारित करेगा जो उसकी कार्यचालन संबंधी अपेक्षाओं से संगत हों;

(ख) जानकारी अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध प्रसुविधाओं का ब्यौरा प्रकाशित करेगा।

4. निरीक्षण करने और सत्यापित प्रतियाँ अभिप्राप्त करने की स्वतंत्रता— (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक नागरिक को तीन पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष के भीतर सृजित किसी अभिलेख का जो किसी लोक निकाय के कब्जे में है, निरीक्षण करने और उसकी प्रतियां अभिप्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी नहीं दी जाएगी,—

(क) जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, भारत की युद्धकौशल-विषक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन, प्रतिकूलतः प्रभावित होगा;

(ख) जिसके प्रकटन से लोक क्षेम और लोक व्यवस्था प्रतिकूलतः प्रभावित होगी या जो किसी अपराध को करने के लिये उद्दीपन करता हो या किसी मामले का उचित विचारण या उसका न्याय-निर्णयन प्रतिकूलतः प्रभावित करता हो;

(ग) जो मंत्रिमण्डल के कागज-पत्रों से और मंत्रिमण्डल के विनिश्चय के आधार पर जारी प्रत्येक सरकारी आदेश हैं, से संबंधित जानकारी है, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के बीच हुए, विचार-विमर्श के अभिलेख भी सम्मिलित हैं;

(घ) जिसके प्रकटन से आंतरिक चर्चा की स्पष्टभाषिता और निष्पक्षता को अपहानि होगी जिसमें अंतरविभागीय या अंतःविभागीय नोट्स, पत्र-व्यवहार और सलाह या राय के कागज-पत्र और आंतरिक नीति विश्लेषण से संबंधित योजनाएँ और धारणाएँ भी सम्मिलित हैं;

(ङ) जिसके प्रकटीकरण से किसी कर, उपकर, शुल्क या फीस के निर्धारण या संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी कर, उपकर, शुल्क या फीस की अवहेलना करने या अपवंचन करने में सहायता प्राप्त होगी;

(च) जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य के विधान-मंडल का विशेषाधिकार भंग होगा;

(छ) जो विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक की गुप्त बात के संबंध में है या ऐसी जानकारी जिसके प्रकटीकरण से किसी लोक निकाय की ...

अनुचित प्रलाभ या हानि होगी;

(ज) जो किसी ऐसे किसी मामले के संबंध में है,—

(एक) जिसमें विधिक अभिरक्षा से बच निकलने में सहायता मिलने या उसे सुकर बनाने की संभावना है या कारागार की सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना है; या

(दो) जो अपराधियों के अन्वेषण या पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया से संबंधित है;

(झ) जिसका प्रकटीकरण किसी अधिनियमिति, विनियमन या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अधीन प्रतिषिद्ध है।

स्पष्टीकरण— तीन वर्ष की कालावधि की गणना उस कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी से की जाएगी जिसमें कोई व्यक्ति किसी अभिलेख का निरीक्षण करने या उसकी प्रतियाँ अभिप्राप्त करने के लिये आवेदन करता है।

5. प्रक्रिया और फीस— (1) कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन अभिलेख का निरीक्षण या कोई प्रति अभिप्राप्त करने की वांछा रखता है, पदाभिहित अधिकारी को लिखित में आवेदन कर सकेगा।

(2) पदाभिहित अधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) और धारा (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, यथास्थिति, अभिलेखों का निरीक्षण करने या प्रतियाँ प्रदाय करने की अनुज्ञा देगा सिवाए इसके कि आवेदक अपेक्षित फीस का भुगतान करने में असफल रहता है या ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार कर देगा यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन कोई अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, वहाँ पदाभिहित अधिकारी, ऐसा अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,—

(एक) ऐसी अस्वीकृति के लिये कारण;

(दो) वह कालावधि, जिसके भीतर, ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की जा सकेगी;

(तीन) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियाँ,

संसूचित करेगा।

(4) प्रत्येक लोक निकाय प्रदाय की गई जानकारी या अनुज्ञात किए गए दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये ऐसी दर से फीस प्रभावित करेगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

6. कतिपय मामलों में जानकारी प्रदाय करने से इंकार करने के आधार— धारा 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पदाभिहित अधिकारी जानकारी प्रदाय करने के अनुरोध को अस्वीकार भी कर सकेगा, जहाँ ऐसा अनुरोध,—

(क) बहुत साधारण प्रकृति का है और चाही गई जानकारी ऐसी प्रकृति की है कि लोक निकाय द्वारा उसे साधारणतः संगृहीत किया जाना अपेक्षित नहीं है;

(ख) ऐसी जानकारी से संबंधित है जो कि विधि, नियमों, विनियमों या आदेशों द्वारा किसी विशिष्ट समय पर प्रकाशित किए जाने के लिये अपेक्षित है;

(ग) ऐसी जानकारी से संबंधित है जो कि जनता को उपलब्ध प्रकाशित सामग्री में अंतर्विष्ट है;

(घ) व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है जिसके प्रकटीकरण से किसी लोक क्रियाकलाप का कोई संबंध नहीं है या जिससे किसी व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक आक्रमण होगा

7. अपील– (1) कोई व्यक्ति जो किसी पदाभिहित अधिकारी के उस आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा जानकारी प्रदाय करने से इंकार किया गया है, आक्षेपित आदेश से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को या ऐसे अपील प्राधिकारी को जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित किए जाएँ, अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण– धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आवेदन नामंजूर किया गया समझा जाएगा यदि ऐसे आवेदन की तारीख से चालीस दिन की कालावधि के भीतर कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है।

(2) अपील उसके प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर विनिश्चित की जाएगी।

(3) अपील में किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और समस्त संबद्ध पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।

8. शास्तियाँ– (1) जहाँ किसी लोक निकाय का प्रमुख या पदाभिहित अधिकारी, अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन दिन की कालावधि के भीतर वांछित जानकारी प्रदाय करने में असफल रहता है, वहाँ अपील प्राधिकारी, संबंधित लोक निकाय के प्रमुख या पदाभिहित अधिकारी पर, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् दो हजार रुपये से अनधिक की ऐसी शास्ति, जिसे वह समुचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा और ऐसी शास्ति ऐसी रीति में, वसूलनीय होगी, जो कि विहित की जाए।

(2) लोक निकाय का प्रमुख या पदाभिहित अधिकारी, जिस पर उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित की गई है, उसे ऐसा आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

9. लोक निकाय के प्रमुख का उत्तरदायित्व– (1) प्रत्येक लोक निकाय का प्रमुख इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) प्रत्येक लोक निकाय का प्रमुख इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक या अधिक अधिकारियों को पदाभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

10. नियम बनाने की शक्ति– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम उनके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जाएँगे।

11. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण– इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही राज्य सरकार या किसी लोक निकाय या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

12. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन– कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में किसी वाद आवेदन या अन्य कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा और ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के अधीन उपबंधित अपील यदि कोई हो, के रूप में के सिवाय प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

13. कठिनाइयों का दूर किया जाना– यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

14. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा– इस अधिनियम के उपबंध, समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के सिवाय, राज्य सूची या समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।